वार्षिक प्रतिवेदन
2021-22

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

वार्षिक प्रतिवेदन
2021-22

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500030, तेलंगाना, भारत

वेबसाइट: **www.nirdpr.org**

प्रकाशन:
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना, भारत

वेबसाइट: **www.nirdpr.org**
कवर डिजाइन: श्री वी.जी. भट्ट

विषयसूची

अध्याय			पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	परिचय		1-5
	1.1	एनआईआरडीपीआर का स्वरूप	1
	1.2	एनआईआरडीपीआर का मिशन	1
	1.3	एनआईआरडीपीआर के उद्देश्य	2
	1.4	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	2
	1.5	अनुसंधान और परामर्श	2
	1.6	तकनॉलोजी हस्तांतरण	3
	1.7	नवोन्मेषी कौशल और आजीविकायें	3
	1.8	शैक्षणिक कार्यक्रम	4
	1.9	नीति समर्थन	4
	1.10	प्रशासन और वित्त	4
	1.11	प्रचार - प्रसार और प्रकाशन	5
अध्याय 2	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण		6-12
	2.1	उद्देश्य	6
	2.2	ग्राहक समूह	6
	2.3	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन	6
	2.4	प्रशिक्षण पद्धतियां	7
	2.5	प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी)	7
	2.6	प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2021-22	7
	2.7	प्रतिभागियों की रूपरेखा	8
	2.8	राज्यवार भागीदारी	9
	2.9	कार्यक्रमों का महीनेवार वितरण	10
	2.10	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	10
	2.11	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय	11
	2.12	गत वर्षों के दौरान प्रशिक्षण कार्य निष्पादन	11
	2.13	प्रशिक्षण प्रतिक्रिया	12
	2.14	आजादी का अमृत महोत्सव क्रियाकलाप	12
अध्याय 3	अनुसंधान और नीति समर्थन		13-20
	3.1	अनुसंधान की श्रेणियाँ	13
	3.2	2021-22 में आयोजित अनुसंधान अध्ययन	13
		3.2.1 अनुसंधान विषय-वस्तु और फोकस क्षेत्र	14
		3.2.2 अनुसंधान अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष	14
	3.3	कार्य अनुसंधान	17
	3.4	परामर्शी अध्ययन	18

Contd...

अध्याय				पृष्ठ संख्या
अध्याय 4	एनआरएलएम संसाधन सेल			21-26
	4.1	एनआरएलएम आरसी एनआरएलएम के संसाधन सहायता प्रकोष्ठ के रूप में		21
	4.2	एनआरएलएमआरसी के कार्यान्वयन के नीतिगत क्षेत्र		22
	4.3	2021-22 के दौरान एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ की उपलब्धियां		22
	4.4	विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रों के तहत प्रमुख गतिविधियाँ		24
		4.4.1	संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण	24
		4.4.2	वित्तीय समावेशन कार्य	24
		4.4.3	सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास	24
		4.4.4	कृषि आजीविका पर प्रशिक्षण	25
		4.4.5	प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण सामग्री के विकास में एनएमएमयू को सहायता	26
		4.4.6	एकीकृत कृषि क्लस्टरों के विकास में एनआरईटीपी राज्यों को सहायता	26
अध्याय 5	अभिनव कौशल और आजीविकायें			27-31
	5.1	डीडीयू-जीकेवाई संसाधन सेल		27
		5.1.1	निगरानी और मूल्यांकन	27
		5.1.2	पदस्थापन सत्यापन	28
		5.1.3	कार्य प्रदर्शन पुनरीक्षण में भागीदारी	28
		5.1.4	प्रशिक्षण और विकास	29
		5.1.5	कौशल आप्ती	29
		5.1.6	सीईओ सम्मेलन	29
		5.1.7	व्यक्तिगत उन्नति और कैरियर वृद्धि (पी.ए.सी.ई.)	29
		5.1.8	व्यक्तिगत उन्नति और कैरियर वृद्धि (पी.ए.सी.ई.)	30
	5.2		ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) परियोजना	31
अध्याय 6	शैक्षणिक कार्यक्रम			32-33
	6.1	नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम		32
		6.1.1	ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) कार्यक्रम	32
		6.1.2	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा - ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) कार्यक्रम	32
	6.2	दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम		33
		6.2.1	सतत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी)	33
		6.2.2	जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीटीडीएम)	33
		6.2.3	ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजी एआरडी)	33
		6.2.4	हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास (डीपी-पीआरजीआरडी) पर डिप्लोमा कार्यक्रम	33
अध्याय 7	प्रशासन			34-40
	7.1	प्रशासन		34
	7.2	दस्तावेज़ीकरण और संचार		38
	7.3	राजभाषा		39
अध्याय 8	वित्त एवं लेखा			41-42
परिशिष्ट I - XI				43-56

संक्षिप्ताक्षर एवं परिवर्णी शब्द

एएआरडीओ	:	अफ्रीकी- एशियाई ग्रामीण विकास संगठन
बीसीसी	:	व्यवहार परिवर्तन संचार
बीडीओ	:	खंड विकास अधिकारी
कपार्ट	:	लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौघ्योगिकी विकास परिषद
सीबीओ	:	समुदाय आधारित संगठन
सीएफएमसी	:	संचित निधि प्रबंधन समिति
सीएफटी	:	समूह सुविधा दल
सीआईसीटीएबी	:	कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र
सिर्डाप	:	एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र
सीआरपी	:	सामुदायिक स्रोत व्यक्ति
सीटीएसए	:	केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेन्सी
डीएवाई-एनआरएलएम	:	दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीडीयू-जीकेवाई	:	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
डीएमएमयू	:	जिला मिशन निगरानी इकाई
डीआरडीए	:	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
ईआर	:	निर्वाचित प्रतिनिधि
ईटीसी	:	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र
ईडब्ल्यूआर	:	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि
एफएफसी	:	चौदहवां वित्त आयोग
एफपीओ	:	किसान उत्पादक संगठन
जीआईएस	:	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपी	:	ग्राम पंचायत
जीपीडीपी	:	ग्राम पंचायत विकास योजना
केएपी	:	ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास
आईसीटी	:	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईईसी	:	सूचना, शिक्षा और संचार
इसरो	:	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटीईसी	:	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग
एमजीएनआरईजीएस	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओपीआर	:	पंचायती राज मंत्रालय
एमओआरडी	:	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओयू	:	समझौता ज्ञापन
एमआरपी	:	मास्टर स्रोत व्यक्ति
एमएसडीई	:	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
नाबार्ड	:	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

Contd...

एनएबीसीओएनएस	:	नाबार्ड परामर्शी सेवाएं
एनसीडब्ल्यू	:	राष्ट्रीय महिला आयोग
एनजीओ	:	गैर सरकारी संगठन
एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी	:	एनआईआरडीपीआर-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र
एनएमएमयू	:	राष्ट्रीय मिशन निगरानी इकाई
एनपीए	:	गैर-निष्पादित आस्तियां
एनआरपी	:	राष्ट्रीय स्रोत व्यक्ति
एनआरएलएम आरसी	:	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संसाधन प्रकोष्ठ
एनएसएपी	:	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
ओडीएफ	:	खुले में शौच मुक्त
ओडीके	:	डेटा किट खोलें
पेसा	:	पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार
पीजीडीएम-आरएम	:	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा- ग्रामीण प्रबंधन
पीजीडीआरडीएम	:	ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
पीआईए	:	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां
पीएमजीएसवाई	:	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमकेएसवाई	:	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीआरएसी	:	नीति अनुसंधान सलाहकार समिति
पीआरआई	:	पंचायती राज संस्थान
आरएसी	:	अनुसंधान सलाहकार समिति
आरएजी	:	अनुसंधान सलाहकार समूह
आरडी	:	ग्रामीण विकास
आरजीएसए	:	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरसेटी	:	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
एसएजीवाई	:	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एसएयू	:	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई
एसबीएम	:	स्वच्छ भारत मिशन
एसईआरपी	:	ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिए सोसायटी
एसएफसी	:	राज्य वित्त आयोग
एसएचजी	:	स्वयं सहायता समूह
एसआईआरडीपीआर	:	राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एसएलएसीसी	:	सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन
एसओपी	:	मानक संचालन प्रणाली
एसआरएलएम	:	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
टीओटी	:	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीक्यूआईएमसी	:	प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति
यूनिसेफ	:	संयुक्त राष्ट्र बाल निधि
यूटी	:	केंद्र शासित प्रदेश

अब तक का सफर

1977
नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान रखा गया

2013
एनआईआरडी का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) कर दिया गया

1965
हैदराबाद परिसर में स्थानांतरित

1958
मसूरी में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान

हम क्या करते हैं ?

1

वरिष्ठ स्तर के विकास पेशेवरों निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करें

5

सामग्री विकसित करना और पत्रिकाओं, रिपोर्ट, ई-मॉड्यूल और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार - प्रसार करना

2

अनुसंधान प्रारंभ करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना

4

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तावित करना

3

राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन करना

अध्याय – 1
परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, यह अंतर-संबंधित गतिविधियों, तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, अनुसंधान/परामर्श, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आदि के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थानों, समुदाय-आधारित संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करता है। मूल रूप से 1958 में मसूरी में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान के रूप में स्थापित इस संस्थान को 1965 में हैदराबाद परिसर में स्थानांतरित किया गया और 1977 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) रखा गया। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और इसके पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को पहचानते हुए, संस्थान की महापरिषद के निर्णय के अनुसार, एनआईआरडी का नाम बदलकर 4 दिसंबर, 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) किया गया। बाद में, भारत सरकार ने माना कि एनआईआरडीपीआर के उद्देश्य लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), के साथ काफी हद तक समान हैं, **tks**जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, 1 मई, 2020 को कपार्ट को एनआईआरडीपीआर के साथ विलय कर दिया। संस्थान हैदराबाद के ऐतिहासिक शहर राजेंद्रनगर में ग्रामीण परिवेश के साथ 174.21 एकड़ के शांत परिसर में स्थित है।

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास और पंचायती राज क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान देने के साथ निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है:

i. वरिष्ठ स्तर के विकास व्यावसायियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंक अधिकारियों, एनजीओ और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना;

ii. अनुसंधान करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना;

iii. राज्यों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन करना;

iv. ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तावित करना; और

v. अध्ययन सामग्री विकसित करना और पत्रिकाओं, रिपोर्टों, ई-मॉड्यूल और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रसार करना।

1.1. एनआईआरडीपीआर का स्वरूप

एनआईआरडीपीआर का स्वरूप 'ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समावेशी और सतत सुधार' हासिल करना है। जीवन की गुणवत्ता पर दृष्टिकोण समाज से समाज में भिन्न होता है। यह सब गरीबी और बीमारी से मुक्त होने, एक लंबा और भरपूर जीवन जीने, और स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त करने के बारे में है। यह भोजन, पानी, ऊर्जा, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छे सामाजिक संबंध, पसंद की स्वतंत्रता, समता, सांस्कृतिक पहचान, भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक संतुष्टि और आजीविका सुरक्षा तक पहुंच को समाविष्ट करते हुए एक मूल्य आधारित संकल्पना है।

1.2. एनआईआरडीपीआर का मिशन

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के लिए एक 'विचार भंडार' के रूप में, हमारा मिशन इन पहलुओं पर काम करना और नीति निर्माण, प्रोग्रामिंग, लक्ष्य निर्धारित और शासन करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करना है। ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के अपने मिशन में स्थिरता वह मूल मूल्य है जिसे हम बनाए रखते हैं। संस्थान अनुसंधान के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास की सुविधा प्रदान करता है, अनुसंधान-उन्मुख क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करके जानकारी आधार का निर्माण, और ग्रामीण विकास अधिकारियों एवं विकास व्यावसायियों (एनजीओ की जवाबदेही और दक्षता) की क्षमता निर्माण करता है।

1.3. एनआईआरडीपीआर के उद्देश्य

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य - नीति निर्माण, एसआईआरडी के साथ भागीदारी क्षमता निर्माण प्रयास, और संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाना।
- अनुसंधान-उन्मुख क्षमता निर्माण- परिणाम आधारित अनुसंधान और भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़ा प्रशिक्षण
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैश्विक उत्कृष्टता संस्थान बनना।
- कार्य अनुसंधान: भारत सरकार और अन्य संगठनों के लिए शोध निष्कर्षों को मान्य करने के लिए अवधारणा कार्यक्रमों और परियोजनाओं का प्रमाण लेना।
- भारत सरकार के कार्यक्रमों की निगरानी सक्षम करना, और ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सबूत इकट्ठा करना।
- प्रौद्योगिकी प्रसार: ग्रामीण परिवर्तन लाने और स्थानीय ग्रामीण समस्याओं के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संस्थानों के सहयोग से, ग्रामीण ज्ञान सृजन, क्यूरेशन और प्रसार के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करना।

1.4. प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित करता है। एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण विकास, पंचायती राज कार्यक्रमों और कार्य के संबंधित क्षेत्रों के नीति निर्माण, प्रबंधन और कार्यान्वयन से जुड़े वरिष्ठ/मध्य स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में विशेषज्ञता हासिल है। इन कार्यक्रमों का ध्यान प्रक्रिया पहलुओं के विशेष संदर्भ के साथ कार्यक्रम प्रबंधन के तौर-तरीकों और तंत्र पर है, जो विकासात्मक व्यावसायियों को पहल के अपेक्षित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। संस्थान हर साल प्रशिक्षण गतिविधियों के अपने कैनवास का विस्तार कर रहा है और उन्हें अधिक आवश्यकता-आधारित और मांग-उन्मुख बनाने में सफल रहा है। यह निरंतर आधार पर नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को विकसित और अपनाकर प्रतिभागियों की संतुष्टि की एक उच्च दर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण निवेशों के रूप में उपयोग किया जाता है।

इसके संपर्क संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण, अर्थात् राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी), संस्थान के जनादेश का अभिन्न अंग है। यह इन संस्थानों के प्रशिक्षण आधारभूत संरचना और संकाय के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संगठनों जैसे भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) और अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (आर्डो) के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान आर्डो, सीआईसीटीएबी, सिर्डाप, यूएन वूमन आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ समन्वय में भी काम करता है।

पंचायती राज पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण सामग्री, और प्रशिक्षकों और स्त्रोत व्यक्तियों के विकास के रूप में विभिन्न पहल की हैं। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोगों के उभरते अनुप्रयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए, संस्थान के ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोगों केंद्र (सी-गार्ड) नवीन भू-संसूचना प्रौद्योगिकी और उपकरण में कौशल प्रदान करने और ज्ञान के स्तर में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करता है।

1.5. अनुसंधान और परामर्श

उभरते विकासशील मुद्दों को समझने और ग्रामीण विकास में अभ्यासों से सीखने के लिए अनुसंधान संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। इसके भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण गरीबों और अन्य

वंचित समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान अध्ययन, कार्रवाई अनुसंधान परियोजनाओं, मामला अध्ययन और परामर्श अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण लोगों के सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए योगदान करने वाले कारकों की जांच और विश्लेषण करता है। संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र-आधारित हैं और इन अध्ययनों के निष्कर्ष संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते हैं और ग्रामीण विकास के लिए नीति निर्माण में उपयोगी हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय संस्थान द्वारा किए गए शोध अध्ययनों के माध्यम से प्रदान की गई प्रतिक्रिया पर महत्व बढ़ाता है। संस्थान स्थान-विशिष्ट कार्य अनुसंधान भी करता है जिसमें एक विषय या मॉडल का चरण-दर-चरण परीक्षण किया जाता है, और स्थान में प्रचलित स्थिति के अनुसार दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेपों को संशोधित किया जाता है। स्थानीय निर्णय लेने और सहभागी मूल्यांकन के साथ विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में जन-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना मुख्य फोकस है।

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थान की कार्रवाई उन्मुख पहल को और मजबूत करने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों से गांवों को गोद लेकर 'ग्राम अभिग्रहण' पर जोर दिया गया है। यह एनआईआरडीपीआर संकाय सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी हकीकतों और विकासात्मक चुनौतियों से खुद को परिचित रखने का मौका देता है।

इसके अलावा, एसआईआरडी और ईटीसी और अन्य नेटवर्किंग संस्थानों के सहयोग से अध्ययन किया जाता है। संस्थान विभिन्न विकास विषयों पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श सहायता प्रदान करता है। संस्थान केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर शोध अध्ययन भी करता है।

डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण में मैन्युअल त्रुटियों को कम करने के लिए, संस्थान मोबाइल-आधारित शोध डेटा संग्रह उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। वर्ष के दौरान, मोबाइल आधारित ओपन सोर्स टूल यानी ओपन डेटा किट (ओडीके) का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख विषयों पर कई शोध अध्ययनों के फील्ड डेटा एकत्र किए गए थे।

1.6. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

सतत योग्य ग्रामीण विकास के लिए विकास में तेजी लाने और उचित और किफायती प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रसार की पहल के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने 1999 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की स्थापना की। इसका उद्देश्य कौशल संवर्धन और उद्यमिता विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका को बढ़ाना है। आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र 40 विभिन्न तकनीकों के साथ ग्रामीण घरों के लागत प्रभावी मॉडल प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों के काफी मॉडलों के साथ एक स्वच्छता पार्क भी स्थापित किया गया था जो ग्रामीण जनता के लिए वहन करने योग्य है। ग्रामीण तकनीकों, नवाचारों, ग्रामीण उत्पादों के विपणन आदि को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। महानिदेशक का बंगला उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके स्थायी आवास को बढ़ावा देने के लिए आरटीपी की एक स्थायी आवास पहल है, और इसने वर्ष 2018 के दौरान नवीन/उभरते और आपदा प्रतिरोधी आवास सहित लागत प्रभावी ग्रामीण/शहरी आवास के लिए हुडको पुरस्कार भी प्राप्त किया है।

आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीकों पर प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं और एसएचजी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

1.7. नवोन्मेषी कौशल और आजीविकायें

नवोन्मेषी कौशल और आजीविकाओं के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की विशेष पहल को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, एनआईआरडीपीआर में विशेष परियोजनाओं और संसाधन प्रकोष्ठों की स्थापना की गई। इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) संसाधन प्रकोष्ठ, दीनदयाल अंत्योदय योजना पर संसाधन प्रकोष्ठ - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) पर परियोजना प्रकोष्ठ, और एस.आर. शंकरन चेयर शामिल है।

डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम है जो देश के वंचित ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है। संस्थान केंद्रीय

तकनीकी सहायता एजेंसियों (सीटीएसए) में से एक है और डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम की नीति समर्थन और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को प्रशासित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय एजेंसी है। एनआईआरडीपीआर के डीडीयू-जीकेवाई सेल को राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को प्रशिक्षण और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाने की कल्पना की गई है।

डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ को 2012 में एनआईआरडीपीआर में विभिन्न ग्रामीण आजीविका कार्यों को सुविधाजनक बनाने और एसआरएलएम की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। एनआरएलएम आरसी गैर-सरकारी संगठनों, बैंकरों, पीआईए, सरकारी अधिकारियों, सीबीओ आदि के लिए विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रों जैसे संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण (आईबीसीबी), वित्तीय समावेशन (एफआई), जेंडर और आजीविका आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करता है।

संस्थान का आरसेटी परियोजना सेल बैंकों के सहयोग से राज्यों में आरसेटियों के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। इसके एक भाग के रूप में, संस्थान को आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए एमओआरडी द्वारा प्रदान की गई धनराशि जारी करने के लिए विभिन्न प्रायोजक बैंकों के प्रस्तावों को संसाधित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

ग्रामीण श्रम पर एस.आर. शंकरन चेयर की स्थापना 2012 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से संस्थान द्वारा की गई थी। चेयर का मुख्य उद्देश्य मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जो समझ को बढ़ाएगा और ग्रामीण श्रमिकों के जीवन और कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

1.8. शैक्षणिक कार्यक्रम

ग्रामीण विकास के लिए समय-समय पर किए गए विभिन्न कार्यों ने उनके प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायियों की मांग पैदा की है। इसे ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने 2008 में ग्रामीण विकास प्रबंधन (पीजीडीआरडीएम) में एक वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में ग्रामीण विकास प्रबंधन व्यावसायियों का एक बड़ा पूल बनाना है, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

विकास के बदलते परिदृश्य और प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक समझ और दक्षता वाले व्यावसायियों की आवश्यकता के संदर्भ में, यह महसूस किया गया कि यह एक लंबी अवधि का कार्यक्रम है। तदनुसार, वर्ष 2018 में, संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली से अनुमोदन के साथ दो वर्षीय पूर्णकालिक पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम शुरू किया।

व्यापक पहुंच के लिए संस्थान की पहल को आगे बढ़ाने के लिए, वर्ष 2010 में एक दूरस्थ शिक्षा सेल (डीईसी) की स्थापना की गई और सतत ग्रामीण विकास में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी) शुरू किया गया। विशिष्ट आदिवासी विकास व्यावसायियों के एक प्रशिक्षित सेट को विकसित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान ने जनवरी 2013 में दूरस्थ मोड में जनजातीय विकास में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीटीडीएम) भी शुरू किया। इसके अलावा, अगस्त 2015 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीजीआरडी) प्रारंभ हुआ।

1.9. नीति समर्थन

एनआईआरडीपीआर की परिकल्पना ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्रों के लिए एक विचार भंडार के रूप में की गई है। इसके भाग के रूप में, संस्थान विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के नीति निर्माण और प्रभावी प्रबंधन के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित करता है। ये विकास प्रशासन और प्रबंधन में बारीकियों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को अत्याधुनिक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करते हैं।

1.10. प्रशासन और वित्त

संस्थान के प्रशासन और वित्त विंग संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों में सहायता और सुविधा प्रदान करते हैं। संस्थान की

नीतियां और रणनीतियां महापरिषद (जीसी) द्वारा निर्धारित की जाती हैं। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद (ईसी) में निहित है, जिसके अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव हैं। महानिदेशक संस्थान के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अकादमिक और शोध सलाहकार समितियां संस्थान को प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान और परामर्श और शैक्षणिक गतिविधियों की योजना बनाने में मार्गदर्शन के रूप में मदद करती हैं। प्रोफेसर वाई.के. अलघ समिति की सिफारिशों के आधार पर, संस्थान को प्रत्येक स्कूल के भीतर केंद्रों वाले स्कूलों में पुनर्गठित किया गया है।

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, बजटिंग, निधियों का आहरण, लेखांकन, प्राप्तियों और भुगतानों का वर्गीकरण, वार्षिक लेखों की तैयारी और संकलन, प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रशासन/प्रशिक्षण/परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह देने के अलावा मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को जमा करना शामिल है।

1.11. प्रसार और प्रकाशन

एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण विकास के बारे में जानकारी प्रसारित करने का अधिकार है। संस्थान ने वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के मुद्दों पर साहित्य प्रकाशित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक 'जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट' ग्रामीण विकास और विकेंद्रीकृत शासन पर प्रमुख अकादमिक पत्रिकाओं में गौरव का स्थान प्राप्त किया है। संस्थान का समाचार पत्र 'प्रगति' प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार करने और संस्थान द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संस्थान अनुसंधान रिपोर्ट श्रृंखला और मामला अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशन प्रकाशित करता है। संस्थान के पुस्तकालय ने संस्थागत प्रकाशनों जैसे अनुसंधान विशिष्टताएं, प्रशिक्षण/ पठन सामग्री, और ग्रामीण विकास पर संकाय प्रकाशनों का डिजिटलीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

अध्याय – 2
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने के लिए संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। एनआईआरडीपीआर के पास पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्रामीण विकास, पंचायती राज कार्यक्रमों और संबंधित कार्य क्षेत्रों के नीति निर्माण, प्रबंधन और कार्यान्वयन में लगे वरिष्ठ/ मध्य स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की विशेषज्ञता है। कार्यक्रमों का उद्देश्य ज्ञान का आधार बनाना, कौशल विकसित करना और प्रतिभागियों में सही दृष्टिकोण और मूल्यों का प्रसारण करना है। एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रमों का ध्यान ग्रामीण विकास के कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए देश के विकास व्यावसायियों की क्षमता निर्माण पर है। प्रतिभागी उच्च स्तर की संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि संस्थान निरंतर आधार पर नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों की खोज करता है और अपनाता है। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उन्हें अधिक आवश्यकता-आधारित और केंद्रित बनाया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, ग्राम अभिग्रहण और मामला अध्ययन के निष्कर्षों का भी उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने दुनिया भर में विशेषकर एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों से बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को आकर्षित किया है। एनआईआरडीपीआर राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) के क्षमता निर्माण कार्य में भी लगा हुआ है ताकि चरणवार रूप में जमीनी स्तर शिक्षण को आगे बढ़ाया जा सके।

2.1. उद्देश्य

एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रमों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम योजना और कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करना, कौशल में सुधार करना, सही दृष्टिकोण उत्प्रेरित करना और विकास कार्यकर्ताओं के ज्ञान को व्यापक बनाना;
- कार्यशालाओं, सेमिनारों और परामर्शी कार्यों के माध्यम से ग्रामीण आबादी की उभरती जरूरतों पर रणनीति विकसित करना;
- सतत योग्य ग्रामीण विकास के लिए संवेदी योगदान के प्रति विकास कर्मियों में व्यवहार परिवर्तन की सुविधा;
- विकास कार्यकर्ताओं को विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन में श्रेष्ठ पद्धतियों और सफलता की कहानियों से परिचित कराना

2.2. ग्राहक समूह

कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित और आधिकारिक सदस्यों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), वित्तीय संस्थानों, उपक्रमों (पीएसयू), शिक्षाविद, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी आदि सहित अन्य हितधारकों के लिए तैयार किया गया है ।

2.3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन:

वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर को संस्थान के विजन और मिशन के साथ ग्रामीण विकास में उभरती व्यापक प्रवृत्तियों को जोड़कर विकसित किया गया है। समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (टीएनए) के परिणाम, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के विचार-विमर्श, अनुसंधान निष्कर्ष और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त फीडबैक को भी प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने में शामिल किया जाता है। एसआईआरडीपीआर और राज्य सरकारों के परामर्श से ऑफ-कैंपस पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है। वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

संस्थान ने ऑन-कैंपस और ऑफ-कैंपस कार्यक्रमों के साथ मिश्रित कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्ष में लगभग 60 प्रतिशत कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए। संस्थान ने ऑनलाइन कार्यक्रमों के आयोजन

के लिए विभिन्न परीक्षण उपकरणों का उपयोग करता है। बड़ी संख्या में हितधारकों तक पहुंचने के लिए संस्थान के प्रयासों के भाग के रूप में और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य और उप-राज्य स्तरों पर अधिकारियों की क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए ऑफ-कैंपस और नेटवर्किंग कार्यक्रमों के रूप में कार्यक्रमों की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा, व्यापक मोड में क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए एसआईआरडीपीआर/ईटीसी के संकाय, राज्य और जिला स्तर के स्त्रोत व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी तैयार की गई थी।

2.4. प्रशिक्षण पद्धति

प्रदान किए गए प्रशिक्षण की विविध प्रकृति, प्रतिभागियों की विविध प्रोफ़ाइल और प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया गया। इनमें से कुछ विधियों में शामिल हैं; व्याख्यान-सह-चर्चा, मामला अध्ययन, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, अभ्यास और व्यावहारिक सत्र (प्रदर्शन), सफल कहानियां आदि। प्रशिक्षण पद्धति के भाग के रूप में, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुतियां, और प्रतिभागियों के साथ अनुभव साझा करना और बातचीत की सुविधा प्रदान की गई।

2.5. प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी)

प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करना हमेशा संस्थान की प्राथमिकता रही है। इस संबंध में, प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी) का गठन आंतरिक और बाहरी विषय विशेषज्ञों से चुने गए सदस्यों के साथ पाठ्यक्रम डिजाइन और सामग्री की जांच करने और कार्यक्रमों में सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए किया गया था।

2.6. प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2021-22

वर्ष 2021-22 के दौरान 1319 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 76819 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और अन्य आरडी एवं पीआर संस्थानों के संकाय सदस्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए, एनआईआरडीपीआर और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा 263 ऑफ-कैंपस कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभागियों के फीडबैक के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का औसत स्कोर 85 प्रतिशत रहा है। संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का श्रेणीवार विवरण तालिका 2.1 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

तालिका 2.1: **2021-22** में आयोजित कार्यक्रमों के प्रकार

प्रकार	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद	एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी	एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा	कुल
प्रशिक्षण कार्यक्रम	**748**	**86**	**8**	**842**
कार्यशालाएं, सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन	**136**	**8**	**18**	**162**
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	**137**	**0**	**0**	**137**
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	**4**	**0**	**0**	**4**
परिचयात्मक दौरा	**151**	**0**	**0**	**151**
प्रेरण और अभिमुखीकरण	**11**	**12**	**0**	**23**
कुल	**1187**	**106**	**26**	**1319**

संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार को दर्शाने वाले अंतराल को तालिका-2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.2: **2021-22** में आयोजित कार्यक्रमों के प्रकार		
प्रकार	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
ऑनलाईन	**794** (जिसमें 20 हाइब्रिड कार्यक्रम शामिल हैं)	**57960**
ऑफलाईन	**525**	**22129**

2.7. प्रतिभागियों की रूपरेखा

जैसा कि नीचे तालिका 2.3 से देखा गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों में अधिकांश सरकारी अधिकारी है। अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) और अन्य, अर्थात् एसएचजी, किसान और युवाओं के प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या भी उस समूह का हिस्सा रही, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए।

तालिका **2.3:** प्रशिक्षणार्थियों की रूपरेखा				
श्रेणी	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद	एनईआरसी-गुवाहाटी	दिल्ली शाखा	कुल योग
सरकारी पदाधिकारी	**26,779**	**4263**	**618**	**31,660**
बैंकर्स और वाणिज्यिक संगठन	**8843**	**257**	**147**	**9247**
जिला परिषद व पंचायती राज संस्थायें	**1308**	**40**	**0**	**1348**
स्वैच्छिक। संगठन/ गैर सरकारी संगठन	**3265**	**330**	**135**	**3730**
राष्ट्रीय/ राज्य संस्थान	**5669**	**45**	**22**	**5736**
विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	**1856**	**315**	**0**	**2171**
अंतरराष्ट्रीय	**109**	**86**	**0**	**195**
अन्य/युवा/पीएसयू/व्यक्ति	**22,187**	**255**	**290**	**22,732**
कुल	**70,016**	**5591**	**1212**	**76,819**

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेंडर वितरण

एनआईआरडीपीआर उन कार्यक्रमों को तैयार करने का ठोस प्रयास करता है जो प्रकृति में जेंडर-तटस्थ हैं। कार्यक्रमों को पुरुष और महिला दोनों प्रतिभागियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। निम्नलिखित ग्राफ 2.1 एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के जेंडर वितरण का विवरण प्रस्तुत करता है।

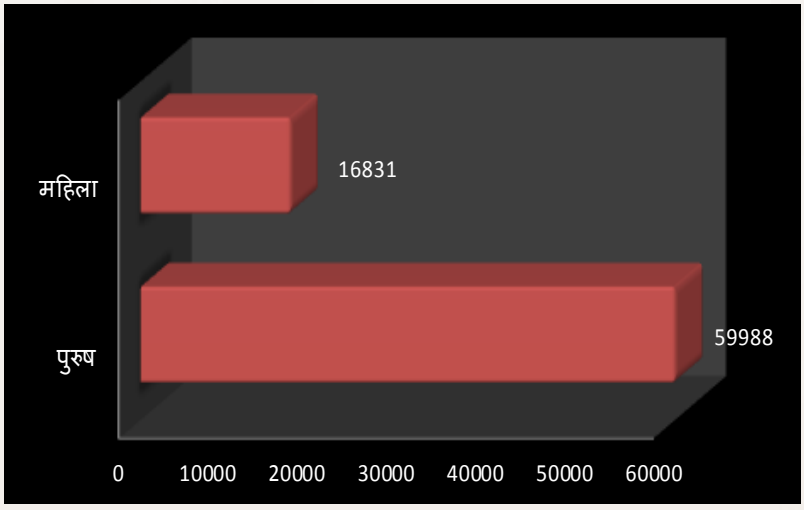

ग्राफ 2.1: एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के जेंडर वितरण का विवरण

2.8. राज्य-वार सहभागिता

वर्ष 2021-22 के दौरान प्रशिक्षुओं की राज्यवार भागीदारी तालिका 2.4 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.4: एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी

राज्य	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिशतता
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	166	0.22
आंध्र प्रदेश	1184	1.54
अरूणाचल प्रदेश	833	1.08
असम	1603	2.09
बिहार	756	0.98
चंडीगढ़	112	0.15
छत्तीसगढ	681	0.89
दमन	29	0.04
दादर और नगर हवेली	40	0.05
दिल्ली	433	0.56
गोआ	254	0.33
गुजरात	493	0.64
हरियाणा	819	1.07
हिमाचल प्रदेश	516	0.67
जम्मू - कश्मीर	805	1.05
झारखंड	844	1.10
कर्नाटक	743	0.97
केरल	1160	1.51
लक्षद्वीप	42	0.05
मध्य प्रदेश	1298	1.69
लद्दाख	101	0.13
महाराष्ट्र	1333	1.74
मणिपुर	372	0.48
मेघालय	836	1.09
मिजोरम	248	0.32
नागालैंड	426	0.55
ओडिशा	1381	1.80
पांडिचेरी	181	0.24
पंजाब	657	0.86
राजस्थान	638	0.83
सिक्किम	693	0.90
तमिलनाडु	1535	2.00
तेलंगाना	2313	3.01
त्रिपुरा	731	0.95
उत्तर प्रदेश	1412	1.84
उत्तराखंड	813	1.06
पश्चिम बंगाल	1473	1.92
अन्य*	48645	63.32
एनआईआरडीपीआर	220	0.29
कुल	76819	

*अधिकांश ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए प्रतिभागियों के अधिवास राज्य से संबंधित डेटा का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए इसे अन्य श्रेणी में रखा गया।

2.9. कार्यक्रमों का महिनेवार वितरण

वर्ष 2021-22 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महीने-वार वितरण नीचे पाई-चार्ट में दर्शाया गया है।

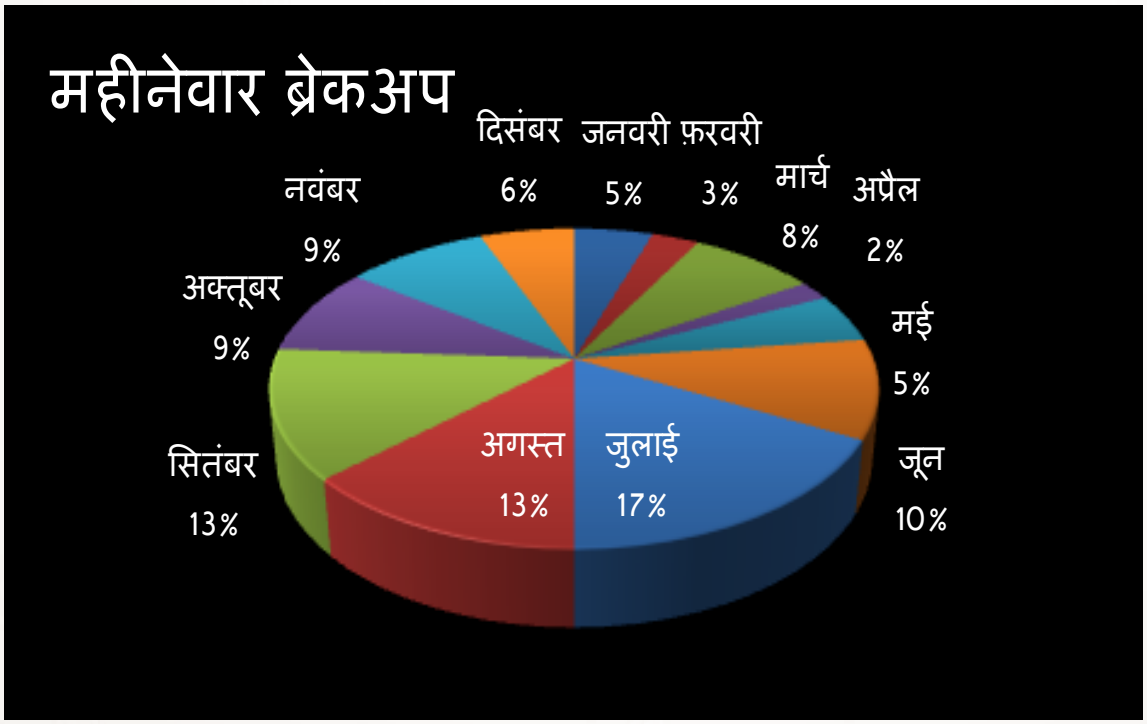

2.10. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

विकासशील देशों के हित के लिए भारतीय अनुभव को साझा करने के प्रयासों के तहत, संस्थान ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी), सीआईसीटीएबी और एमओआरपी के तहत आयोजित किए जाते हैं। 2021-22 के दौरान, पांच अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए और विकासशील देशों के 93 प्रतिभागियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रतिभागी मुख्य रूप से एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे वियतनाम, नेपाल, फिलीपींस, म्यांमार, मॉरीशस आदि से थे। एनआईआरडीपीआर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को महत्व देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम कर रहा है। कार्यक्रमों और प्रतिभागियों का विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विवरण

श्रेणी	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की संख्या
सीआईसीटीएबी	**1**	**19**
आईटीईसी	**1**	**22**
एनआईआरडीपीआर	**3**	**52**
कुल योग	**5**	**93**

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के शीर्षक इस प्रकार हैं:

1) भारत में ई-शासन रणनीतियों और श्रेष्ठ पद्धतियों पर आईटीईसी कार्यक्रम।

2) स्किलिंग, आजीविका और वित्तीय समावेशन पर सीआईसीटीएबी कार्यक्रम।

3) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए संकेतक डिजाइन करना।

4) अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार (6) का आयोजन एसडीजी पर लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 5 और लक्ष्य 8 को कवर करते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूके, ग्रीनविच विश्वविद्यालय, यूके, यूएनयू-वाइडर, मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए और ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय, यूके के सहयोग से किया गया था।

2.11. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय

कार्यक्रमों का समग्र उद्देश्य ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण के माध्यम से आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करके सतत ग्रामीण विकास की सुविधा प्रदान करना है। उभरते ग्रामीण परिदृश्य के संदर्भ में विकास व्यावसायियों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषयों की योजना बनाई गई है। चल रहे ग्रामीण विकास प्रमुख कार्यक्रमों की प्रभावी योजना और प्रबंधन और पीआरआई अधिकारियों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष के दौरान विषयवार आयोजित कार्यक्रमों की संख्या का विवरण तालिका 2.6 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.5:विषयवार कार्यक्रमों का वितरण

क्र.सं.	विषय	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या
1	गरीबी उन्मूलन और आजीविका	487
2	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	244
3	जवाबदेही प्रशासन का निर्माण	194
4	पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाना	158
5	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	57
6	शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही	47
7	जीआईएस अनुप्रयोग	36
8	जेंडर बजटिंग और जेंडर जवाबदेही शासन	30
9	भागीदारी योजना और विकेंद्रीकरण	27
10	ई-शासन	23
11	ग्रामीण सूक्ष्म उद्यम	8
12	सामुदायिक सशक्तिकरण	5
13	ग्रामीण विकास में नवाचार और श्रेष्ठ पद्धतियां	3
	कुल	1319

2.12. पिछले कुछ वर्षों के प्रशिक्षण प्रदर्शन

2017-18 से शुरू होकर पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए प्रशिक्षण प्रदर्शन को ग्राफ-2.2 में दर्शाया गया है।

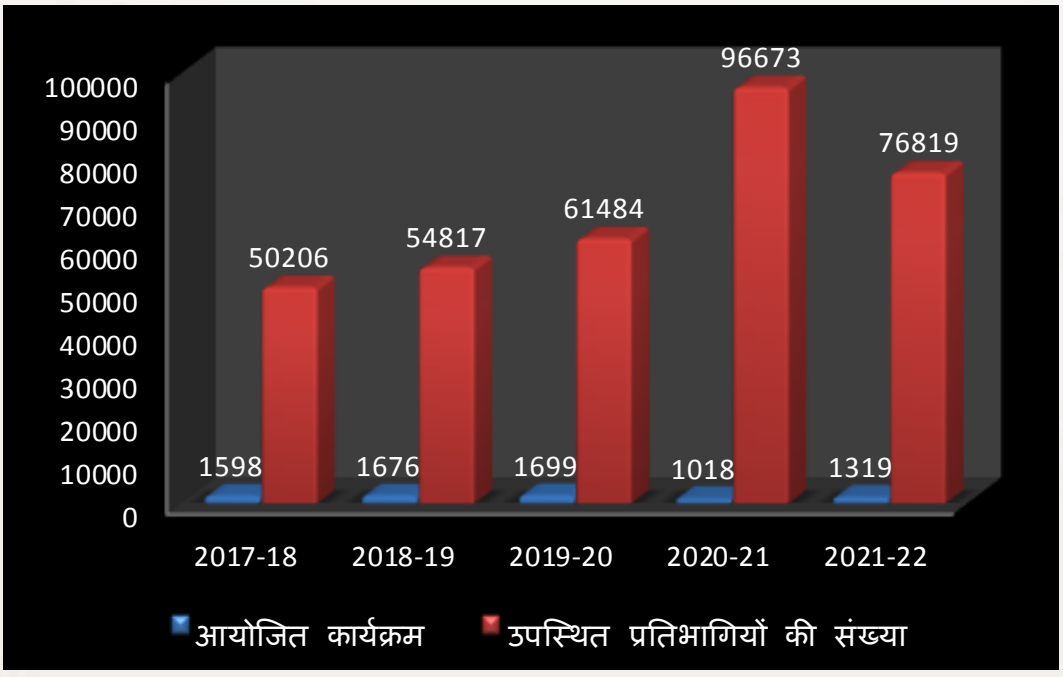

ग्राफ-2.2. गत वर्षों के दौरान प्रशिक्षण कार्य निष्पादन

2.13. प्रशिक्षण फ़ीडबैक

प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और गूगल फॉर्म का उपयोग करते हुए पांच-बिंदु पैमाने पर ई-मूल्यांकन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। यह आकलन प्रशिक्षण डिजाइन, सामग्री, प्रशिक्षण विधियों, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ताओं की प्रभावशीलता आदि जैसे घटकों के संदर्भ में किया जाता है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल औसत स्कोर 85 प्रतिशत रहा है।

2.14. आजादी का अमृत महोत्सव गतिविधियों

आजादी का अमृत महोत्सव गतिविधियों के एक भाग के रूप में संस्थान द्वारा मार्च 2021 से मार्च 2022 तक 93 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्र.सं.	गतिविधियों का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या
1	जागरूकता सृजन (विषयगत)	1
2	सम्मेलन	4
3	विशेषज्ञ व्याख्यान	1
4	भवन का उद्घाटन	1
5	पुस्तकॉलय व्याख्यान	2
6	राष्ट्रीय वेबिनार	21
7	ऑनलाइन पुरस्कार समारोह	1
8	विभिन्न हितधारकों की प्रश्नोत्तरी/प्रतियोगिता	5
9	सेमिनार	1
10	छात्र अध्ययन मंच	9
11	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	23
12	कार्यशाला	12
13	वर्चुअल पैनल चर्चा	1
14	अन्य क्रियाकलाप	11
	कुल	93

अध्याय - 3
अनुसंधान और नीति समर्थन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला में इसकी शुरुआत के मद्देनजर अनुसंधान एनआईआरडीपीआर की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। अनुसंधान के प्रयास संस्थान को देश में ग्रामीण विकास के समसामयिक मुद्दों से अवगत रहने में सक्षम बनाते हैं। संकाय सदस्यों में ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता की विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए, संस्थान भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट संगठनों आदि के लिए परामर्श अनुसंधान अध्ययन करता है। अनुसंधान अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित किए जाते हैं:

1. ग्रामीण विकास फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ बदलते ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को समझना।
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं की पहचान करना
3. आरडी कार्यक्रमों के समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए उपयुक्त नीति और कार्यक्रम के हस्तक्षेप का सुझाव देना।
4. अनुसंधान परिणामों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का विकास करना
5. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में ज्ञान का एक समूह बनाना।

एनआईआरडीपीआर में शोध अध्ययन के अनुमोदन की प्रक्रिया में पहले चरण में नीति अनुसंधान सलाहकार समिति (पीआरएसी) द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हैं। परिणामतः, संकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) द्वारा की जाएगी जिसमें आंतरिक संकाय सदस्य शामिल होंगे। प्रस्तुत करने पर प्रस्तावों की समीक्षा अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) द्वारा की जाएगी, जिसमें विभिन्न संस्थानों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वान शामिल हैं। तदनुसार, संकाय द्वारा अनुसंधान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले, अनुसंधान दल सुधार के सुझावों के लिए अपने अध्ययन के निष्कर्षों को स्टडी फोरम में प्रस्तुत करेगा।

3.1 अनुसंधान की श्रेणियाँ

संबोधित किए जाने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान गतिविधियों को व्यापक श्रेणियों में परिभाषित किया गया है, अर्थात् अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन, सहयोगात्मक अध्ययन, कार्य अनुसंधान और ग्राम अभिग्रहण और परामर्श अध्ययन। अनुसंधान अध्ययनों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने और नीतिगत सिफारिशों के परिणामों का आकलन करने के लिए कार्य अनुसंधान किया जाता है। ग्रामीण विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्य अनुसंधान शोधकर्ताओं को जमीनी स्तर पर समस्याओं के बहुत करीब ले जाता है। मामला अध्ययन विशिष्ट प्रशिक्षण मूल्यों और प्रतिकृति के दायरे वाले सफल ग्रामीण विकास पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संकाय सदस्य एसआईआरडीपीआर/ईटीसी, राष्ट्रीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ सहयोगी अध्ययन करते हैं।

संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को देखते हुए संस्थान द्वारा विभिन्न परामर्शी अध्ययन भी किए जाते हैं।

3.2. 2021-22 में आयोजित अनुसंधान अध्ययन

2021-22 में विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 56 शोध अध्ययन (विभिन्न चरणों में पिछले वर्षों के 41 चल रहे प्रस्तावों और 15 चालू वर्ष के अध्ययनों सहित) किए गए जैसे अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन और सहयोगात्मक अध्ययन। अध्ययनों का विवरण परिशिष्ट **II-IV** में दिया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए अनुसंधान अध्ययन परिशिष्ट **II** में दिए गए हैं।

2021-22 के दौरान, 26 शोध अध्ययन पूरे किए गए, जैसा कि परिशिष्ट-**III** में दिया गया है। ये अध्ययन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में किए गए।

चूंकि अनुसंधान अध्ययन की अवधि वित्तीय वर्ष में फैली हुई है, संदर्भ के तहत वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए अध्ययनों में पिछले वर्षों के दौरान शुरू किए गए और साथ ही कुछ वर्तमान वर्ष में किए गए अध्ययन शामिल हैं। समय सीमा के अनुसार, 15 अध्ययन अभी भी चल रहे हैं, और विवरण परिशिष्ट-IV में प्रस्तुत किए गए हैं।

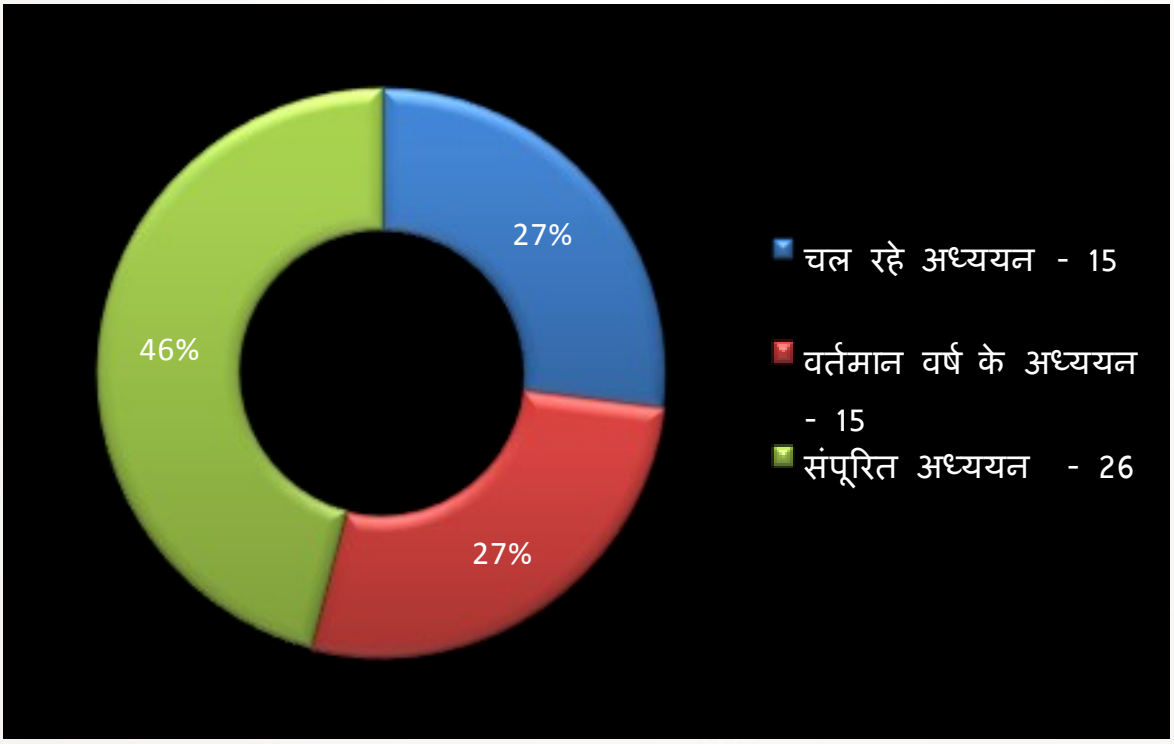

Figure 1: परामर्शी अध्ययनों की स्थिति - **2021-22**

3.2.1: अनुसंधान विषय और फोकस क्षेत्र

एनआईआरडीपीआर अनुसंधान अध्ययन के विषयगत क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत योजना, सीएसआर पहल, किसान उत्पादक संगठन (कृषि क्षेत्र), खाद्य सुरक्षा, जेंडर, सुशासन, महात्मा गांधी एनआरईजीएस (फ्लैगशिप कार्यक्रम), रिवर्स माइग्रेशन और इसके निहितार्थ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज, सामाजिक जवाबदेही शामिल हैं।

3.2.2 अनुसंधान अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

क) उपयोग और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ ओडीएफ स्थिति का पुनर्सत्यापन: एक अनुभवजन्य जांच – डॉ. आर.रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई

यह अध्ययन मध्य प्रदेश के दो जिलों में सवालों के जवाब जानने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें (i) परिवारों का प्रतिशत जो वास्तव में ओडीएफ हैं; (ii) घरों में शौचालय होने के बावजूद शौचालय का उपयोग नहीं करने के कारण; (iii) घरेलू स्तर पर व्यवहार परिवर्तन जो शौचालय के उपयोग, हाथ धोने की आदत और शौचालयों के उचित रखरखाव के संदर्भ में हुआ है।

अध्ययन से पुष्टि होती है कि सतना जिले में खुले में शौच का प्रचलन है। यह दर्शाता है कि 41% परिवार नियमित रूप से खुले में शौच करते हैं, और लगभग 12% शौचालय के अनियमित उपयोगकर्ता हैं। इससे 53% परिवार खुले में शौच करते हैं। लेकिन, इसमें उन 17% परिवारों को शामिल नहीं किया गया है जिनके पास शौचालय नहीं है। यह संभव है कि सतना 30% ओडीएफ घोषित करने के रास्ते पर है क्योंकि डेटा बताता है कि 70% (53% + 17%) अभी भी शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह घोषणा कि यह पहले से ही ओडीएफ है जल्दबाजी में की गई है, और यह आवेगशील है।

सतना जिले द्वारा की गई ओडीएफ घोषणा को तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि मौजूदा

शौचालयों में आवश्यक सभी रेट्रोफिटिंग नहीं हो जाती है, और जब तक उन 17% घरों में शौचालय नहीं होते हैं, और अपने शौचालयों का निर्माण नहीं करवाते हैं या अगर उन घरों में शौचालय निर्माण के लिए जगह नहीं पाई जाती है तो सभी को शेयर शौचालयों की सुविधा नहीं मिलती है।

एसबीएम-जी को ग्रामीण भारत को ओडीएफ घोषित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ओडीएफ, जिसे एसबीएम-जी पर हमारे मास मीडिया अभियान में 'हर कोई, हर रोज़, हमेशा' जैसी पंच वाले पंक्तियों द्वारा उल्लेख किया गया है।

ख) महिलाओं के पोषण/स्वच्छता पद्धतियों में सुधार के लिए एसईआरपी तेलंगाना के स्वास्थ्य/पोषण हस्तक्षेप की प्रभावशीलता - डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य

अध्ययन ने मासिक धर्म स्वच्छता, महिलाओं में स्वच्छता के बारे में ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास (केएपी), मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास के संदर्भ में एसईआरपी (टी) के पोषण/स्वच्छता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की

जांच की और समुदाय द्वारा पोषण/स्वच्छता केएपी को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की स्थिति का मूल्यांकन किया।

यह देखा गया कि प्रशिक्षण सत्रों में छोटी-सी गैर-केंद्रित चर्चा प्रशिक्षित महिलाओं में महत्वपूर्ण ज्ञान अंतर पैदा करने में प्रभावी नहीं होती है। अभ्यासों के संदर्भ में, जबकि एमएचएम के लिए सैनिटरी मासिक धर्म उत्पाद महत्वपूर्ण है, उत्पाद निवेश एमएचएम प्रगति का सिर्फ शुरुआती बिंदु है। स्थानीय प्रतिबंधों और वर्जनाओं पर केंद्रित गहन बीसीसी होना चाहिए और मासिक धर्म के आसपास केएपी में सुधार के लिए लाभार्थियों के आयु-समूह के अनुसार मॉडरेट किया जाना चाहिए।

ग) गूडूर मंडल, महबूबाबाद जिला, तेलंगाना में जनजातीय आबादी में पोषण अभियान के प्रभाव का आकलन - डॉ. सोनल मोबार रॉय, सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई, एनआईआरडीपीआर

तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के गूडूर मंडल में चयनित ग्राम पंचायतों में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ अध्ययन किया गया था जिसमें शामिल था चयनित जीपी में पोषण अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन को समझना; नमूना आबादी पर पोषण अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन, विशेषकर कोया और लंबाडी जनजाति में; और क्या स्वास्थ्य संकेतकों के संबंध में सुधार हुआ है का मूल्यांकन शामिल है।

जबकि लम्बाडी सामाजिक-आर्थिक रूप से समृद्ध थे, कोया और चेंचूस अभी भी गरीबी रेखा से बहुत नीचे थे और उन्हें दिन में दो वक्त के भोजन की व्यवस्था करने में कठिनाई होती थी। कोया और चेंचूस में खराब आहार सेवन और एनीमिया अधिक थी। यद्यपि, अब सभी तीन जनजातियों में संस्थागत प्रसव लोकप्रिय था, तीनों आदिवासी समुदायों में किशोरियों की शादी अठारह वर्ष की आयु से पहले ही कर दी जाती है, जिससे प्रारंभिक गर्भावस्था और संबंधित जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। जब तक लाभार्थी आशा और एएनएम के संपर्क में नहीं आते, तब तक वे अपने सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार पारंपरिक आहार पूर्व और प्रसवोत्तर पद्धतियों का पालन कर रहे थे। जहां तक निम्नलिखित का संबंध है, सभी आंगनवाड़ी केंद्र अच्छी तरह से काम कर रहे थे: आईएफए गोलियों का वितरण, प्रतिरक्षण, टीकाकरण, परामर्श, 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव, कोविड-19 के दौरान घर-घर जाकर सर्वेक्षण आदि किया गया। गंभीर तीव्र कुपोषण या एसएएम के कोई मामले सामने नहीं आए। हालांकि, टेक होम राशन या टीएचआर के वितरण में देरी देखी गई।

घ) निचले कावेरी डेल्टा में ए सेंचुरी ऑफ एग्रेरियन चेंज: पालकुरीची गाँव का अध्ययन 1918- 2018 - डॉ. सुरजीत विक्रमण, एसोसिएट प्रोफेसर, कृषि अध्ययन केन्द्र

कृषि संबंधों और कृषि विकास की प्रकृति के विश्लेषण के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन की गतिशीलता को समझने की कोशिश कर रहे विभिन्न अध्ययनों में

तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र (वर्तमान नागपट्टिनम जिला) में पलाकुरिची गांव का अध्ययन अद्वितीय है। पालकुरिची 1918 से अध्ययन किए गए 'स्लाटर गांवों' में से एक था, और 1918 के बाद से लगभग एक सदी तक लगातार गांवों में कृषि संबंधों का अध्ययन किया गया है। अब तक, प्रख्यात विद्वानों द्वारा गांव के पांच अध्ययन किए गए हैं, जो गाँव के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, कृषि संबंध और गाँव में परिवारों की आजीविका का रूपरेखा तैयार करते हैं। निचले कावेरी डेल्टा क्षेत्र में दीर्घकालिक परिवर्तनों को समझने के लिए, 2019 के दौरान गाँव के पुन:सर्वेक्षण के साथ पालकुरिची गाँव का एक विस्तृत ग्राम अध्ययन किया गया।

यह गाँव मुख्य रूप से एक सदी से एक कृषि

प्रधान गाँव बना हुआ है, अधिकांश परिवार की आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। 1970 और 1980 के दशक के दौरान दो दशकों की संक्षिप्त अवधि के लिए चावल की दो फसलों की खेती के अपवाद के साथ, लगभग एक सदी तक गाँव में चावल की खेती की एक ही फसल का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दीर्घकालिक प्रभुत्व है। हालांकि, बाद में कावेरी सिंचाई प्रणाली से सिंचाई के पानी की उपलब्धता में गिरावट और बाढ़ और सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन की स्थिति में गिरावट के कारण, ग्रामीण लंबी अवधि के चावल की केवल एक बार फसल उगाने में सक्षम थे। क्षेत्र की कृषि-पारिस्थितिक विशेषताएं केवल लंबी अवधि के चावल की एक ही फसल के उत्पादन का समर्थन कर सकती हैं, और अधिकांश परिवारों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है।

समय के विभिन्न बिंदुओं पर पालकुरिची पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि गाँव में दलितों के लिए बेहद दमनकारी और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था, और इससे पहले कि लंबे समय तक उनके सामने रहने वाली दयनीय और कमजोर रहने की स्थिति जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त हो । वे इस तरह के उत्पीड़न और बुनियादी माँगों के खिलाफ लामबंद और संघर्ष कर सकें, इन प्रयासों को बाद में कमजोर परिवारों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से पीडीएस, आईएवाई और पीएमएवाई और मनरेगा जैसे विभिन्न सार्वजनिक समर्थित कार्यक्रमों द्वारा पूरक बनाया गया।

ड.) झारखंड के सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) के साथ नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की नियुक्ति: एक मामला अध्ययन - डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र, एनआईआरडीपीआर

झारखंड अग्रणी राज्यों में से एक है जहां सीएसओ ने सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के साथ विभिन्न स्तरों और विभिन्न सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं पर काम किया है। यह अध्ययन अच्छे अभ्यास का दस्तावेजीकरण करने और इस तरह के जुड़ाव पर सीएसओ प्रतिनिधियों और सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों की धारणाओं को मापने के लिए किया गया है।

संचालन समिति में संयोजक, नरेगा वाच को शामिल किया गया है। एसएयू सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया, डेटा संग्रह के प्रारूपों और रिपोर्ट तैयार करने की समीक्षा के लिए सीएसओ के साथ समय-समय पर परामर्श बैठकें आयोजित करता है। साठ प्रतिशत सीएसओ प्रतिनिधि उत्तरदाता सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट हैं, उनमें से 34% मध्यम रूप से संतुष्ट हैं, 2% आंशिक रूप से संतुष्ट हैं, और उनमें से 04% संतुष्ट नहीं हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों ने सीएसओ के जुड़ाव से कई लाभ साझा किए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण है, समुदाय भागीदारी में वृद्धि, पहचाने गए मुद्दों पर उचित निर्णय और प्रभावी कार्रवाई, और सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को रसद समर्थन।

च) एमजीएनआरईजीएस में सामाजिक लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई अनियमितताओं का विश्लेषण - डॉ.सी. धीरजा

तीन राज्यों, यथा झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अध्ययन किया गया, जिसमें शामिल उच्चतम हेराफेरी राशि के आधार पर 10 से 15 अनियमितताओं

का चयन किया गया, और विभिन्न हितधारकों के साक्षात्कार के साथ-साथ कार्य स्थलों पर जाकर एक विस्तृत मामले का दस्तावेजीकरण किया गया। सभी राज्यों के लिए मनरेगा सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस से सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का डेटा लेकर तीन साल (2017-2020) के ट्रेंड एनालिसिस को कैप्चर किया गया। यह अध्ययन सामाजिक लेखापरीक्षा के तहत पहचानी गई अनियमितताओं की प्रकृति और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और ऐसी अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई का अध्ययन करने के लिए किया गया था।

छ) किन्नरों का सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए रणनीतियां - डॉ. एस.एन. राव

किन्नर समुदाय भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है, लेकिन शिक्षा, आर्थिक अवसर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के मामले में सीमांत पर बना हुआ है। इन समुदायों के प्रासंगिक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायीकर्ताओं की कमी है । सामान्यतः, किन्नर समुदाय अपने तनाव और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रबंधन में सहायता के लिए संभावित रूप से उपलब्ध मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों और सेवाओं से अनभिज्ञ रहता है। किन्नर अक्सर दुर्व्यवहारित और अवांछित होते है। मुख्य दोष कुछ मानदंडों से परे कामुकता की स्वीकृति की कमी है। तीसरे लिंग को समाज 'असामान्यता' मानता है और सामाजिक बहिष्कार होता है। कामुकता के मुद्दों पर खुद को शिक्षित करने के प्रयास की कमी है और इसके परिणामस्वरूप किन्नरों की स्वीकृति के लिए एक सतत संघर्ष की भी कमी है।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में किन्नर समुदाय के प्रति असंवेदनशीलता उन्हें हर मायने में और कमजोर बना रही है। सरकारी हस्तक्षेपों की कमी तस्वीर को और अधिक धूसर बना रही है और उन्हें समाज के इतर जेब में डाल रही है। किन्नर लोगों को इंसान के रूप में स्वीकार करने के लिए नजरिए में बदलाव समय की मांग है।

ज) सामाजिक लेखापरीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता (एसएसएएटी), तेलंगाना के लिए सोसायटी का मूल्यांकन - डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, डॉ. सी.धीरजा और डॉ. श्रीनिवास सज्जा

मनरेगा ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स 2011 और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, 2016 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का समय-समय पर आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन होना चाहिए। एसएसएएटी हेतु सोसाइटी के अनुरोध पर, एनआईआरडीपीआर ने तेलंगाना में एसएसएएटी और सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन किया है। कुल नौ जीपी से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया है। कुल 188 मनरेगा मजदूरी चाहने वालों को प्रश्नावली दी गई। चयनित 09 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में ग्रामीणों के साथ दो एफजीडी आयोजित किए गए हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के गैर-प्रतिभागी अवलोकन के लिए एक ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। आधिकारिक रिकॉर्ड, नीति दस्तावेजों और एसएसएएटी की वार्षिक रिपोर्ट से द्वितीयक डेटा एकत्र किया गया है।

3.3 कार्य अनुसंधान

समकालीन अनुसंधान के परिणाम और वर्तमान मुद्दों/ समस्याओं पर तत्काल ध्यान पर दिए जाने वाले आवश्यकता को देखते हुए, एनआईआरडीपीआर कार्य अनुसंधान के लिए कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2021-22 में जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, वे थे पंचायती राज, डेयरी विकास और स्वच्छ भारत। 2021-22 में लगभग चार क्रियात्मक शोध अध्ययन किए गए। अध्ययनों का विवरण परिशिष्ट-V में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान एक क्रियात्मक शोध अध्ययन पूरा किया गया और निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

क) स्कूल में लड़कियों के मूत्रालयों की स्थिति में सुधार के लिए जल रहित मूत्रालय प्रणाली का डिजाइन और विकास - एक प्रायोगिक कार्य अनुसंधान परियोजना - डॉ. एस. रमेश शक्तिवेल, सीआईएटी एवं एसजे

स्कूलों में लड़कियों के लिए उपलब्ध मूत्रालयों के वर्तमान मानक डिजाइन में खुली नाली से जुड़ी एक स्क्वाटिंग प्लेट होती है जो मूत्रालयों से एकत्रित मूत्र को निपटान के लिए ले जाती है। कुछ जगहों पर खुले नाले से जुड़े सीमेंटेड प्लेटफॉर्म को ही मूत्रालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ मामलों में, महिलाओं के लिए मूत्रालय के उपयुक्त डिजाइन के अभाव में, पेशाब के लिए पारंपरिक शौचालयों का उपयोग किया जाता है। उचित मूत्रालय पैन की अनुपस्थिति के कारण जिससे मूत्र का सुरक्षित रूप से निपटान कर सकते हैं, मूत्रालयों और खुली नालियों में मौजूद निपटान न किए गए मूत्र से उत्पन्न अमोनिया के कारण मूत्रालयों में

हमेशा बहुत उच्च स्तर की गंध होती है जिससे ये जुड़े होते हैं। साथ ही लड़कियों के मूत्रालयों में इस आदिम किस्म की व्यवस्था से काफी पानी बर्बाद हो रहा है.

इस अध्ययन का उद्देश्य स्क्वाटिंग प्रकार के मूत्रालय पैन को विकसित करना है, जो एक नई गंध जाल से सुसज्जित है, जो लड़कियों के मूत्रालयों में पानी रहित विशेषता और बदबू मुक्त वातावरण को सक्षम बनाता है। इस परियोजना के तहत, मूत्र को सुरक्षित रूप से एकत्र करने और सामान्य शौचालयों के समान इसके नीचे एक जल निकासी पाइप के माध्यम से निपटान के लिए उथली गहराई के साथ एक नवीन स्क्वेटिंग पैन विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा, लड़कियों के मूत्रालयों में गंध की रोकथाम का निपटान करने के लिए घुमावदार झिल्ली तकनीक का उपयोग करके एक नवीन गंध जाल विकसित किया जा रहा है, जिसमें मूत्र के साथ बड़े आकार के कण प्राप्त होने की संभावना है।

3.4 परामर्शी अध्ययन

संकाय सदस्यों के पास उपलब्ध विशेषज्ञता और संस्थान द्वारा प्राप्त व्यापक ध्यान को देखते हुए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारें और कॉर्पोरेट क्षेत्र के संगठन अक्सर विशिष्ट उद्देश्य-उन्मुख अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन आदि करने के लिए एनआईआरडीपीआर से संपर्क करते हैं। इन अध्ययनों को परामर्शी अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में कुछ ग्राहक समूह है i) एमओआरडी, ii) डीएवाई-एनआरएलएम, एमओआरडी, iii) यूनिसेफ, iv) कोल इंडिया लिमिटेड, आंध्र प्रदेश सरकार v) एमओपीआर-आरजीएसए, vi) यूएनडीपी, vii) कृषि मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार viii) सीआईसीटीएबी, ix) अंडमान - निकोबार प्रशासन, x) विदेश मंत्रालय (कृषि मंत्रालय, मेडागास्कर सरकार), xi) पंचायती राज विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार xii) एसएसी - इसरो (आईसीएआर के साथ सहयोग), xiii) नाबार्ड, xiv) आईसीएसएसआर, xv) एमओपीआर-टीआईएसपीआरआई-चरण- II, xvi) सीआईडीबीआई, xvii) पीआर एवं आरडी विभाग, जम्मू - कश्मीर सरकार

वर्ष 2021-22 के दौरान, 2021-22 से पहले किए गए 24 चल रहे अध्ययनों के अलावा तीन नए परामर्शी अध्ययन किए गए। 2021-22 में कुल 15 परामर्शी अध्ययन पूरे किए गए। ये अध्ययन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू - कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में किए गए थे। अंडमान - निकोबार द्वीप, मेडागास्कर में दो अध्ययन किए गए। एक अध्ययन 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया।

अध्ययनों का विवरण परिशिष्ट **VI-VIII** में प्रस्तुत किया गया है।

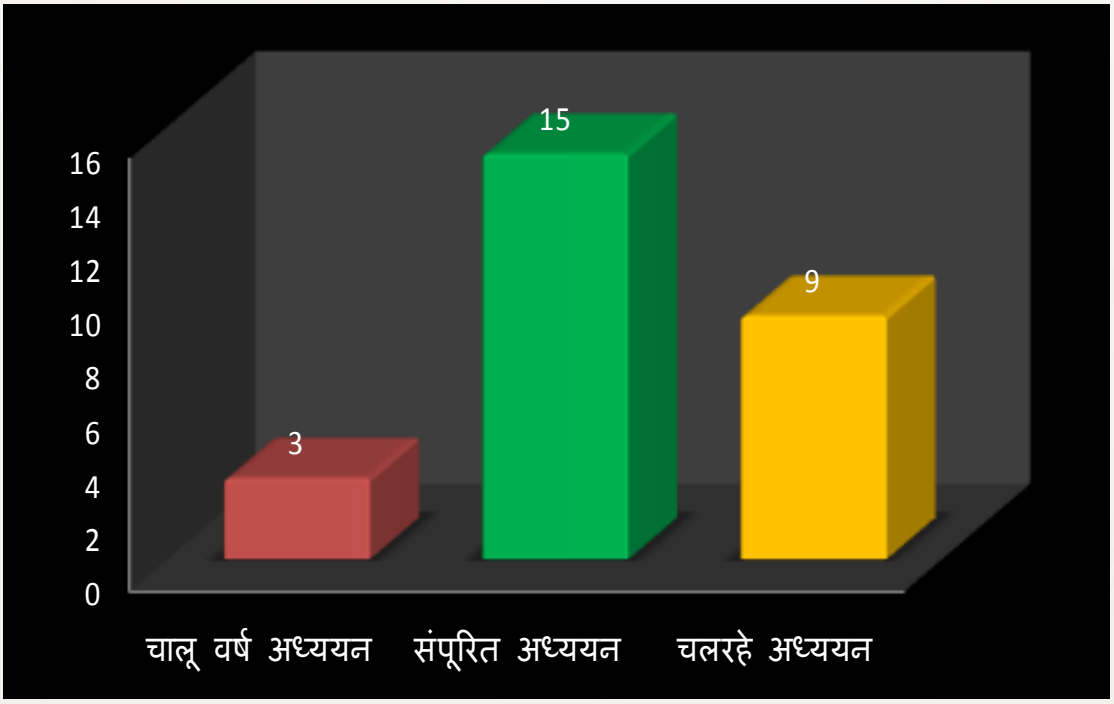

ग्राफ 2: 2021-22 में परामर्शी अध्ययन की स्थिति

पूर्ण किए गए कुछ परामर्शी अध्ययनों के परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

क) हाइपरस्पेक्ट्रल और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर का उपयोग करते हुए स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी जनरेशन और विभिन्न फसलों की तुलना - डॉ. एम.वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीजीआरडी, एनआईआरडीपीआर, डॉ. के. सुरेश, प्रमुख वैज्ञानिक, आईसीएआर-आईआईओपीआर, पेडवेगी, आन्ध्र प्रदेश

अध्ययन में, दूरस्थ कार्यों का उपयोग करके परीक्षण क्षेत्र के लिए मल्टीस्पेक्ट्रल छवियों से हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का अनुकरण किया जाता है जो समान पिक्सेल के चयन के लिए एक प्रत्यक्ष विधि है। संदर्भ डेटा (ओवरलैप्ड सेंटिनल और एवीआईआरआईएस डेटा) और टेस्ट डेटा (सेंटिनल) के रूप में उपयोग किए जाने वाले डेटा के दो सेट हैं। संदर्भ डेटा में एक ही अध्ययन क्षेत्र के प्रहरी और एविरिस चित्र शामिल होने चाहिए; हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा को सेंटिनल डेटा को इनपुट के रूप में लेते हुए डिस्टेंस फ़ंक्शंस का उपयोग करके सिम्युलेटेड किया जाता है। परीक्षण प्रहरी डेटा और संदर्भ प्रहरी डेटा के स्पेक्ट्रा के बीच वर्णक्रमीय समानता की तुलना की जाती है। संदर्भ प्रहरी डेटा से समान स्पेक्ट्रा का चयन करने के बाद, ओवरलैप्ड पिक्सेल का स्पेक्ट्रा संदर्भ एविरिस डेटा से चुना जाता है। प्रत्येक चयनित समान स्पेक्ट्रा को पूरे हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का अनुकरण करने के लिए बाद की स्थिति में रखा गया है।

ख) तेलंगाना में ग्रामीण परिवारों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - डॉ. आकांक्षा शुक्ला

भारतीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबादी के जरूरतमंद वर्गों को किफायती दामों पर आवश्यक खाद्यान्न की गारंटी देने का एक सार्वभौमिक समाधान है। यह खाद्यान्नों के खुले बाजार मूल्यों को स्थिर करता है और किसानों को उचित पारिश्रमिक कीमतों की गारंटी देता है। यह पहल हाल के दिनों में कोविड-19 महामारी और देश में परिणामी लॉकडाउन के साथ और अधिक प्रासंगिक हो गई है। जैसे-जैसे स्कूल बंद होते गए और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को झटका लगा, पीडीएस लाखों लोगों के लिए जीवित रहने का एकमात्र रास्ता रह गया। वर्ष 2020-21 में किया गया अध्ययन तेलंगाना के पिछड़े जिलों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति की जमीनी हकीकत को दर्शाता है।

ग) विकेन्द्रीकृत सेवा वितरण: कर्नाटक के नंदागाढ़ ग्राम पंचायत का मामला अध्ययन - डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी

पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शासन के सबसे सुलभ रूप के रूप में कार्य करती हैं। ऐतिहासिक 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1993 भारत में स्थानीय सरकारी संस्थानों का एक लोकतांत्रिक पुनरुद्धार देखा गया, जिसकी कल्पना कभी महात्मा गांधी द्वारा शासन संरचना के भवन के रूप में की गई थी। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य केवल केंद्रीकृत प्राइज़ से स्थानीय संस्थाओं को शक्ति और उत्तरदायित्व हस्तांतरित करना नहीं है, बल्कि एक शासन प्रणाली को बढ़ावा देना है, जहां निचले स्तर के नागरिक स्थानीय निर्णय-क्षमता प्रक्रिया में खुद को शामिल करके सरकार में अधिक हिस्सेदारी का दावा करेंगे। संवैधानिक संशोधन, ग्यारहवीं अनुसूची में, 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। हालाँकि, पंचायतों को शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापक भिन्नताएँ मौजूद हैं। स्थानीय सरकार की संस्थाओं के रूप में, पंचायतें स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और गरीब और वंचित वर्गों की कमजोरियों को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं। पंचायतों का इरादा पानी की आपूर्ति, स्वच्छता सहित सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीटलाइट्स और श्मशान घाटों के रखरखाव और उनकी बुनियादी विधियों के तहत उन्हें सौंपे गए अन्य बुनियादी कार्य करना है।

घ) हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना विज्ञान का उपयोग - ईआर. एच.के. सोलंकी और डॉ. पी. केशव राव

किसी भी देश का विकास वहां उपलब्ध आधारभूत संरचना सुविधाओं पर निर्भर करता है। अच्छी सड़क नेटवर्क सुविधाएं यहां एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। विकसित देशों के पास अच्छी सड़क संरचना इस कारण से नहीं होते है कि वे अमीर हैं; बल्कि इस कारण होते है कि उनकी आधारभूत संरचना विकसित होती हैं। इस तथ्य को महसूस करते हुए, भारत में ग्रामीण

विकास मंत्रालय के तहत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) नाम की एक महत्वाकांक्षी और अब तक की सबसे बड़ी आधारभूत संरचना विकास परियोजना की परिकल्पना की गई और इसे 25 दिसंबर, 2000 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य इसके माध्यम से बुनियादी पहुंच प्रदान करना रहा है। इसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2007 तक "रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक" और "बाकी बसावटों के लिए 500 या उससे अधिक की

आबादी" वाले सभी आवासों के लिए बारहमासी सड़कों के माध्यम से बुनियादी पहुंच प्रदान करना रहा है।

अध्ययन तीन राज्यों, अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। विश्लेषण के लिए हरियाणा राज्य में 531 सड़कों वाले 22 जिलों पर विचार किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य में, 12 जिले अध्ययन क्षेत्र में हैं, जिनमें से कुल 1613 सड़कों पर विश्लेषण के लिए विचार किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में, 75 जिले अध्ययन क्षेत्र में हैं, जिनमें से कुल 11617 सड़कों को विश्लेषण के लिए माना गया था।

ड.) अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों की निगरानी के लिए भू-संसूचना का उपयोग - डॉ. ए. सिम्हाचलम और डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद

किसी भी देश का विकास वहां उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं पर निर्भर करता है। भारत जैसे देश में ग्रामीण सड़कों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और उनकी कमाई का मुख्य स्रोत कृषि उत्पादों पर आधारित है। ग्रामीण सड़कें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करती हैं और कृषि उत्पादों को निकटतम बाजार केंद्रों तक ले जाने का साधन प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की संकल्पना की गई और इसे 25 दिसंबर, 2000 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से 2007 तक "रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक" और "शेष बस्तियों के लिए 500 या उससे अधिक" की आबादी वाले सभी आवासों के लिए बारहमासी सड़कों के माध्यम से बुनियादी पहुंच प्रदान करना था।

पीएमजीएसवाई योजना के कार्यान्वयन में बड़ी चुनौतियाँ हैं। पारंपरिक परियोजना प्रबंधन विधियों का उपयोग करके इस विशाल परियोजना का प्रबंधन करना कठिन है क्योंकि ये विधियाँ थकाऊ और समय लेने वाली हैं और वांछित जानकारी प्राप्त करना कठिन है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भू-संसूचना के उपयोग से पीएमजीएसवाई योजना की बेहतर योजना, निर्णय क्षमता और निगरानी में मदद मिलेगी। वर्तमान परियोजना में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का अनुप्रयोग शामिल है जिसमें पीएमजीएसवाई के तहत शुरू की गई सड़कों की निगरानी के लिए अस्थायी परिवर्तन शामिल हैं।

च) भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा वित्त तक पहुंच (ए2एफ) और एमएसई क्षेत्र पर इसका प्रभाव - डॉ. एम. श्रीकांत, डॉ. ए. भवानी, श्री विनीत जे. कल्लोर और श्री चंदन कुमार

यदि किसान देश को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), रोजगार और निर्यात में योगदान करते हैं। एमएसई औपचारिक पंजीकरण की कमी, अपर्याप्त और असामयिक क्रेडिट, विलंबित प्राप्य, तकनीकी अप्रचलन, नगण्य बाजार लिंकेज, निकास नीति की अनुपस्थिति आदि जैसे विरासती मुद्दों का सामना करते हैं। सभी चुनौतियों में से, वित्त तक पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है जिसका सामना देश भर में एमएसई कर रहे हैं। इसके अलावा, एमएसई के बही खातों में प्राप्य राशियां लंबे समय से विलंबित हैं, जो उनके कार्यशील पूंजी चक्र को लंबा खींचती हैं और ब्याज लागत में काफी वृद्धि करती हैं। पूर्वोक्त के मद्देनजर, एसआईडीबीआई ने भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के दौरान एमएसई द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रमुख बाधाओं और औपचारिक संस्थाओं में परिवर्तित होने में इन फर्मों की बाधाओं की जांच करने के लिए एक परियोजना को वित्तपोषित किया।

छ) एमजीएनआरईजीएस के तहत जियो-टैग की गई संपत्तियों का तृतीय पक्ष सत्यापन - डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एनएसआर प्रसाद, ईआर. एच.के. सोलंकी और डॉ. एम.वी. रविबाबू

एक प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान को जियो-मनरेगा परियोजना के भाग के रूप में एमजीएनआरईजीएस के तहत बनाई गई सभी संपत्तियों को प्रभावी ढंग से मैप करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संपत्ति ट्रैकिंग प्रबंधन समाधान को एकीकृत करके बनाया गया था। और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, जियो-टैगिंग संपत्तियों की मौजूदा स्थिति को सत्यापित करने के लिए जियो-टैगिंग अभ्यास को स्वतंत्र रूप से मान्य करने के लिए एक तृतीय-पक्ष सत्यापन अभ्यास की कल्पना की गई थी। प्रबंधन विज्ञान अकादमी (एएमएस) थर्ड पार्टी ने संपत्ति के स्थान का भौतिक रूप से दौरा करके और एनआरएससी (हैदराबाद) द्वारा प्रदान किए गए थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप का उपयोग करके संपत्ति का फील्ड सत्यापन किया। परीक्षा में भौतिक सत्यापन शामिल था। जांच में संबंधित जियो-टैग किए गए निर्देशांकों पर संपत्ति के भौतिक अस्तित्व का सत्यापन और साथ ही अनुकूलित मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से संपत्ति की गुणवत्ता जांच शामिल है।

अध्याय - 4
एनआरएलएम - संसाधन सेल

4.1. एनआरएलएम के संसाधन सहायता सेल के रूप में एनआरएलएम आरसी

एनआरएलएम आरसी, हैदराबाद की स्थापना 2013 में हुई थी और एनआरएलएम आरसी गुवाहाटी की स्थापना 2015 में डीएवाई-एनआरएलएम की अनुदान सहायता के तहत हुई थी।

एनआरएलएम आरसी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- एनआरएलएम संसाधन सेल से कार्यान्वयन सहायता की व्यवस्था करके एसआरएलएम की क्षमता निर्माण के माध्यम से एनआरएलएम के कार्यान्वयन को मजबूत करना; और
- आवश्यकता के अनुसार सभी एसआरएलएम और एमओआरडी को एनआरएलएम संसाधन सेल से प्रशिक्षित राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्र स्तरीय स्त्रोत व्यावसायियों के निरंतर प्रवाह की सुविधा प्रदान करना।

एनआरएलएमआरसी की प्रमुख जिम्मेदारियां

एसआरएलएम की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, अर्थात, राज्यों में एसआरएलएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करके, एनआरपी की प्रतिनियुक्ति करके, एनआरएलएम आरसी एनएमएमयू को नए प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री विकसित करने, अनुसंधान अध्ययन की निगरानी और मूल्यांकन करने, डिजिटल उपकरण और वित्तीय अनुप्रयोगों और श्रेष्ठ पद्धतियों और मामला अध्ययन सामग्री को विकसित करने में भी सहायता करता है। एनआरएलएमआरसी की प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

- एसआरएलएम के नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- विषयगत क्षेत्रवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में एसआरएलएम की सहायता करना
- प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने में एनआरएलएम का समर्थन करना
- एनआरपी और एनसीआरपी पूल का विकास और प्रभावी उपयोग
- एकीकृत कृषि क्लस्टर विकसित करने में एनआरईटीपी राज्यों का समर्थन करना
- वित्तीय समावेशन, एसएचजी बैंक लिंकेज और डिजिटल वित्त में एसआरएलएम का समर्थन करना
- श्रेष्ठ पद्धतियों और मामला अध्ययन के दस्तावेज़ीकरण में एनआरएलएम का समर्थन करना।

4.2. एनआरएलएमआरसी के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण क्षेत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ध्यान सभी ग्रामीण महिलाओं को एसएचजी नेटवर्क में लाने और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का निर्माण करने पर रहा है। एनआरएलएमआरसी के क्षमता निर्माण के रणनीतिक क्षेत्र हैं

- संस्था निर्माण और क्षमता निर्माण
- सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास
- जेंडर और खाद्य पोषण स्वास्थ्य और वॉश
- कृषि आजीविका
- गैर-कृषि आजीविका
- वित्तीय समावेशन।

4.3. 2021-22 के प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के दौरान एनआरएलएम- संसाधन सेल की उपलब्धियां

एनआरएलएम (आरसी), एनआईआरडीपीआर ने 2020-21 के दौरान विभिन्न ऑनलाइन, कैंपस और ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, एनआरएलएम आरसी ने अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए आवश्यकता-आधारित सीबी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न एसआरएलएम को समर्थन भी दिया। एनआरएलएम आरसी ने क्षमता निर्माण एजेंसियों, बैंकरों, सरकारी अधिकारियों और सीबीओ को भी प्रशिक्षित किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एनआरएलएमआरसी कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 4.1 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका **4.1:** वित्तीय वर्ष **2021-22** के लिए लक्ष्य बनाम उपलब्धि

संसाधन सेल	लक्ष्य	उपलब्धि
हैदराबाद	**291**	**400**
गुवाहाटी	**68**	**54**
कुल	**359**	**454**

2021-22 के दौरान एनआरएलएमआरसी द्वारा आयोजित विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिका 4.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका **4.2:** एनआरएलएमआरसी द्वारा आयोजित विषयगत-वार प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	विषय	हैदराबाद	गुवाहाटी	कुल
1	आईबीसीबी	**170**	**9**	**179**
2	एसआई-एसडी और जेंडर	**26**	**5**	**31**
3	एफएनएचडब्ल्यू	**3**	**6**	**9**
4	एफआई	**123**	**9**	**132**
5	कृषि आजीविका	**11**	**17**	**28**
6	एचआर	**67**	**7**	**74**
7	एमआईएस	**0**	**1**	**1**
कुल		**400**	**54**	**454**

वर्ष 2021-22 के लिए एनआरएलएमआरसी द्वारा आयोजित राज्यवार प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिका 4.3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका **4.3: 2021-22** के दौरान एनआरएलएमआरसी हैदराबाद द्वारा आयोजित राज्यवार एवं विषयवार कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	विषय								
		एचआर	आईबीसीबी	एफआई	एसआईएसडी	जेंडर	एफएनएचडब्ल्यू	कृषि आजीविका	गैर-कृषि आजीविका	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	आंध्र प्रदेश	0	6	0	0	1	0	0	0	7
3	असम	0	2	0	3	0	0	0	0	5
4	छत्तीसगढ	0	10	0	0	4	0	1	0	15
5	दमन-दीव और दादर - नगरहवेली	0	14	0	0	0	0	0	0	14
6	गोआ	0	0	0	0	3	0	0	0	3
7	गुजरात	0	2	0	0	0	0	1	0	3
8	हरियाणा	0	2	6	1	0	0	0	0	9
9	हिमाचल प्रदेश	5	12	3	1	4	0	4	0	30
10	जम्मू – कश्मीर	2	3	0	0	0	0	0	0	5
11	झारखंड	0	3	0	0	1	0	0	0	4
12	कर्नाटक	0	3	1	0	4	0	1	0	9
13	महाराष्ट्र	0	3	44	0	1	0	0	0	48
14	मणिपुर	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15	एनआईआरडीपीआर	0	2	0	0	0	0	0	0	2
16	ओडिशा	0	2	0	0	0	0	0	0	2
17	पांडिचेरी	0	1	0	0	0	0	0	0	1
18	पंजाब	0	3	5	0	1	0	1	0	10
19	राजस्थान	0	8	0	0	0	0	1	0	9
20	सिक्किम	0	2	0	0	2	0	0	0	4
21	तमिलनाडू	0	3	7	0	0	0	0	0	10
22	तेलंगाना	0	13	4	0	1	0	2	0	20
23	उत्तर प्रदेश	56	58	52	0	0	0	0	0	166
24	उत्तराखंड	4	15	0	1	0	0	0	0	20
25	त्रिपुरा	0	1	1	0	0	0	0	0	2
कुल		67	170	123	3	23	3	11	0	400

वर्ष 2021-22 के लिए एनआरएलएमआरसी गुवाहाटी द्वारा आयोजित राज्यवार प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिका-4.4 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका-4.4: **2021-22** के दौरान एनआरएलएमआरसी -गुवाहाटी द्वारा आयोजित राज्यवार एवं विषयवार कार्यक्रम

		विषय										
क्र.सं.	राज्य	आईबीसीबी	एफआई	एसआईएसडी	एफएनए चडब्ल्यू	कृषि आजीविका	गैर-कृषि आजीविका	एलएच प्ररण	एचआर	जेंडर	एमआईएस	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	4
2	असम	5	1	1	5	3	3	-	4	-	1	23
3	मणिपुर			1	-	-	-	-	-	1	1	3
4	मेघालय	1	2	-	-	1	2	-	4	-	1	11
5	मिजोरम		2	-	-	-	-	1	1	-	1	5
6	नागालैंड	1	2	1	-	1	1	1	-	-	1	8
7	त्रिपुरा	1	3	-	1	3	-	1	-	-	1	10
8	सिक्किम	1	1	1	0	2	0	0	0	2	1	8
कुल		9	11	5	6	12	6	3	9	3	8	72

4.4 विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रों के तहत प्रमुख गतिविधियां:

4.4.1 संस्था निर्माण एवं क्षमता निर्माण

एसआरएलएम के नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कर्मचारी क्षमता निर्माण ढांचे के प्रमुख घटक हैं। मिशन स्टाफ क्षमता निर्माण एनआरएलएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूपीएसआरएलएम और एचपी एसआरएलएम के कर्मचारियों के लिए एसआरएलएम के 2797 कर्मचारियों को कवर करते हुए 67 प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। कर्मचारियों के लिए ये टीओटी कार्यक्रम कार्यक्षेत्र और कक्षा खंड को मिलाकर 8-15 दिनों के होते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों को एनआरएलएम दर्शन और प्रक्रिया से परिचित कराना है। एनआरएलएम कार्यान्वयन में सार्थक योगदान देने हेतु एनआरएलएम के कर्मचारियों की मदद करने के लिए प्रारंभिक का फोकस बुनियादी अवधारणाओं (गरीबी, भेद्यता, आजीविका, जेंडर, संस्था निर्माण हस्तक्षेप, वित्तीय समावेशन, आजीविका आदि) और कौशल (दृष्टि, योजना, प्रशिक्षण, नेतृत्व और प्रबंधन, आदि) का परिचय कराना है। विभिन्न एसआरएलएम की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एनआरएलएम संसाधन सेल ने राष्ट्रीय स्तर के स्रोत व्यक्तियों (एनआरपी) और राष्ट्रीय स्तर के सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों (एनसीआरपी) को विकसित किया है।

सीएलएफ वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण

एनआरएलएमआरसी द्वारा देश के 19 एसआरएलएम के एसआरपी और कर्मचारियों के लिए एनआरपी के सहयोग से सीएलएफ वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण के अट्ठाईस बैच आयोजित किए गए। सीएलएफ में वित्तीय प्रबंधन के पहलुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें बहीखाता पद्धति, गरीबों की वित्तीय आवश्यकताएं और सामना तंत्र, बचत और ऋण उत्पाद, बीमा और पेंशन उत्पाद, एनआरएलएम सीबीओ की वित्तीय सेवाएं, सीबीओ की लेखांकन सेवाएं आदि शामिल थीं।

4.4.2 वित्तीय समावेशन पहल

एसएचजी-बैंक लिंकेज पर बैंक अधिकारियों का उन्मुखीकरण

एसएचजी सदस्यों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज महत्वपूर्ण है। क्षेत्र स्तर के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, एसएचजी बैंक लिंकेज को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ संवेदीकरण किया गया। एनआरएलएमआरसी ने एनआरपी और एनआरएलएमआरसी कर्मचारियों के सहयोग से अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 118 बैचों में 7190 प्रतिभागियों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में राज्य और जिला स्तर पर एनआरएलएम पर बैंकरों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया है।

एफआई संवर्गों का प्रशिक्षण

मुख्य रूप से पंजाब राज्य में एनआरपी द्वारा 266 सामुदायिक संवर्गों, यानी बैंक सखी, बीसी और आईसीआरपी के लिए प्रशिक्षण के नौ बैच आयोजित किए गए थे। महाराष्ट्र और यूपी राज्यों में बैंकर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रमों को एनआरपी की प्रतिनियुक्ति और कार्यक्रमों के समन्वय द्वारा क्रमशः एनआरएलएमआरसी द्वारा समर्थित किया गया है। एसएचजी बैंक लिंकेज अवधारणा में कुल 6064 बैंकरों को प्रशिक्षित किया गया था। मई, जून, सितंबर, अक्तूबर और नवंबर 2021 में यूपीएसआरएलएम, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के सीएलएफ लेखाकारों को सीएलएफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम में कुल 1559 सीएलएफ लेखाकारों को प्रशिक्षित किया गया।

4.4.3 सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास

समावेशन के एक मंच के रूप में स्वयं सहायता समूहों ने कई राज्य मिशनों में प्रमुखता प्राप्त की है। एनएमएमयू द्वारा सामाजिक समावेशन के लिए एक नियमावली विकसित की गई थी। इस संबंध में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में बुजुर्गों और पीडब्ल्यूडी को एसएचजी में समावेशन सुनिश्चित करने के लिए मिशन स्टाफ, सामुदायिक संवर्ग और सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षित

किया गया था। यूकेएसआरएलएम स्टाफ के लिए एसआईएसडी परिचालन रणनीति तैयार करने पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

चालू वर्ष के दौरान "डीएवाई एनआरएलएम में सामाजिक समावेशन को मुख्यधारा में लाना" पर आई-जीओटी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया था।

सामाजिक विकास (जेंडर, एफएनएचडब्ल्यू)

छह एसआरएलएम (तेलंगाना, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर) को "जेंडर परिचालन रणनीति" विकसित करने में सहायता दी गई थी, जिसमें डीएवाई-एनआरएलएम के ढांचे, प्रणालियों, संस्थानों और प्रक्रियाओं में जेंडर को मुख्यधारा में लाने की रणनीति शामिल है। इस संबंध में, ऑनलाइन मोड के माध्यम से मिशन के कर्मचारियों, प्रशिक्षकों, सामुदायिक संवर्ग और समुदाय (ज्यादातर एसएचजी सदस्यों) के जेंडर संवेदीकरण जैसे चरण विकसित किए गए। वर्ष के दौरान, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और असम राज्यों के लिए जेंडर प्वाइंट पर्सन (जीपीपी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ और असम राज्यों के वीओ और सीएलएफ एसएसी सदस्यों के लिए जेंडर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। कर्नाटक, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम के एसआरएलएम स्टाफ और कैडर के लिए जेंडर अवधारणाओं पर चौदह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कुछ राज्यों में स्वयं सहायता समूह स्तर पर जेंडर पॉइंट पर्सन, ग्राम संगठन स्तर पर जेंडर फोरम और ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन स्तर पर सामाजिक क्रिया समितियों जैसे संस्थागत तंत्र का गठन किया जाता है। ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में सक्रिय भागीदारी, बालिकाओं की शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम और घरेलू हिंसा को संबोधित करना शामिल है।

राज्यों में जेंडर अंतर्वेशन स्थलों के विकास के लिए असम, मणिपुर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में स्थलों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एसआरएलएम के कर्मचारियों को जेंडर अंतर्वेशन स्थलों के विकास की प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया गया था। अंतर्वेशन स्थलों में, जेंडर एकीकरण और मुख्यधारा से संबंधित गतिविधियों को सीएलएफ, वीओ और एसएचजी में एकीकृत किया जाएगा। इन स्थलों को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों के अन्य ब्लॉकों और जिलों के समुदायों के लिए संसाधन केंद्रों के रूप में उपयोग किया जाएगा।

एफएनएचडब्ल्यू (भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और वाश)

मिशन बेहतर पोषण को आर्थिक विकास और गरीबी को कम करने के लिए एक आवश्यक निवेश के रूप में मान्यता देता है। स्थायी गरीबी के कुछ अंतर्निहित कारणों को दूर करने के लिए खाद्य पोषण स्वास्थ्य वॉश-एफएनएचडब्ल्यू हस्तक्षेपों को मुख्यधारा में लाना आवश्यक है और यह डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा अपनाई गई दशसूत्र रणनीति की प्राप्ति का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। एफएनएचडब्ल्यू के भाग के रूप में, एसआरएलएम को समर्थन देने के लिए 5 एनआरपी को टीओआर जारी किए गए थे। एसआरएलएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और प्रशिक्षण सामग्री विकास की तैयारी में एनआरपी की सेवाओं का उपयोग करते रहे हैं। वर्ष के दौरान, गोवा, हिमाचल और उत्तराखंड एसआरएलएम के कर्मचारियों और संवर्ग के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

4.4.4. कृषि आजीविका पर प्रशिक्षण

एनआरएलएम आरसी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों, पशुधन, मूल्य श्रृंखला, जैविक खेती पर कर्मचारियों और संवर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाजरा मूल्य श्रृंखला और किसान उत्पादक समूहों (एफपीजी) पर प्रशिक्षण आयोजित करता रहा है। एनएमएमयू और एनआरपी के सहयोग से संसाधन सेल ने छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में छह ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कृषि पारिस्थितिक पद्धतियों, पशुधन, जैविक खेती और बाजरा मूल्य श्रृंखला पर एसआरपी, संवर्ग और एसआरएलएम कर्मचारियों को प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए गए। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक एसआरएलएम के कर्मचारियों और संवर्ग के लिए पांच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान कृषि आजीविका पर कुल 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

4.4.5. प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण सामग्री के विकास में एनएमएमयू को सहायता

- बहीखाता मॉड्यूल: क्लस्टर स्तरीय संघ पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया था। एनसीआरपी के समर्थन से हिंदी भाषा में अभिलेख पुस्तकें।
- एनआरएलएमआरसी i) आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई), एनआरएलएम की नई उप-योजना और ii) एमकेएसपी पर डेटा एकत्र करने और मसौदा रिपोर्ट तैयार करने में एनआरपी का समर्थन लेकर अनुसंधान अध्ययन कर रहा है।
- पीजी प्ले बुक: ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ) के सहयोग से डीएवाई-एनआरएलएम को तकनीकी सहायता के रूप में एक प्ले बुक विकसित की गई। पुस्तक सभी हितधारकों को संघटन, योजना, व्यवसाय योजना, निर्माता समूहों की निगरानी आदि की मानक प्रक्रिया को समझने में मदद करती है।
- एनआरपी के सहयोग से "मोरिंगा पर रेसिपी बुक" विकसित की गई और हिंदी में अनुदित की गई ।

4.4.6. एकीकृत कृषि क्लस्टरों के विकास में एनआरईटीपी राज्यों को सहायता

- डीएवाई-एनआरएलएम आरसी ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब राज्यों के एसआरएलएम के एसआरपी को कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों और पशुधन पर प्रशिक्षण दिया। पांच राज्यों से कुल प्रतिभागियों की संख्या 712 रही।
- नवंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश एसआरएलएम के 70 प्रतिभागियों के लिए एनआरएलएमआरसी ने जैविक कृषि पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया है।
- एनआरएलएमआरसी ने एकीकृत कृषि क्लस्टर प्रस्तावों के विकास और एकीकृत कृषि क्लस्टर परियोजना के तहत एनआरईटीपी राज्यों के लिए इसके मूल्यांकन में एसआरएलएम की सहायता की। 13 एनआरईटीपी राज्यों के लिए 400 क्लस्टर प्रस्तावों का लक्ष्य है । अब तक 11 राज्यों में 355 क्लस्टर कैपिंग प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और उनका मूल्यांकन किया गया है ।
- मूल्य श्रृंखला विकास पहल के तहत डीएवाईएनआरएलएम आरसी ने मूल्य श्रृंखला प्रस्तावों की तैयारी और मूल्यांकन में एसआरएमएम का समर्थन किया ।

अध्याय - 5
नवोन्मेषी कौशल एवं आजीविकायें

भारत को एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है, जिसकी 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कार्य-आयु वर्ग में है और 54 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। वर्तमान में, 55 मिलियन कामकाजी उम्र की आबादी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण रोजगार के अवसरों का उपयोग करने में असमर्थ है, और इसलिए, अधिक उत्पादकता के लिए अनुभवात्मक पारंपरिक कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है। एक कुशल कार्यबल सही मायने में भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की नींव रख सकता है। कोविड-19 महामारी ने आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर होने के महत्व को गंभीर रूप से उजागर किया है, जिसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब नागरिक, विशेष रूप से युवा, विभिन्न क्षेत्रों में कुशल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों। इस संदर्भ में, एनआईआरडीपीआर ग्रामीण भारत के लिए स्थायी आजीविका विकल्प उत्पन्न करने के लिए सक्रिय रूप से नवीन कौशल अवसरों की खोज कर रहा है।

5.1. डीडीयू-जीकेवाई संसाधन सेल

एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई सेल ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी मुख्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। एनआईआरडीपीआर द्वारा सीटीएसए के रूप में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जिसमें निगरानी और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, और मजबूत एमआईएस का विकास और रखरखाव शामिल है। इसके अलावा, डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के लिए एनआईआरडीपीआर एक मूल्यांकन एजेंसी भी है। एनआईआरडीपीआर के डीडीयू-जीकेवाई संसाधन सेल की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:

5.1.1. निगरानी और मूल्यांकन

एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई सेल की निगरानी और मूल्यांकन (एम एवं ई) टीम डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) की मुख्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।

सीटीएसए के रूप में, एनआईआरडीपीआर देश के बाकी हिस्सों में हिमायत (जम्मू और कश्मीर में) और डीडीयू-जीकेवाई के बैनर तले देश के 20 राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

इनमें से कुछ क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 के दौरान टीम की उपलब्धि का एक स्नैपशॉट निम्न अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है:

1. प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया गया- 861
2. भौतिक प्लेसमेंट सत्यापन -720
3. एम एवं ई द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या – 74
4. राज्यों/पीआईए के प्रदर्शन की समीक्षा में भाग लिया/आयोजित किया गया - 149

इसके अलावा, टीम वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में जुड़ी रही:

1. कर्नाटक (43) और मेघालय (8) आदि जैसे राज्यों के अनुरोध पर डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्रों के 51 इ्यू डिलिजेंस दौरों का आयोजन किया।
2. डीडीयू-जीकेवाई एसओपी में संशोधन। संशोधित संस्करण जल्द ही ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने की संभावना है।
3. कर्नाटक राज्य के लिए दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश - 6 परियोजनाएं

एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की एम एवं ई टीम की गतिविधियों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रदर्शन आंकड़े निम्नलिखित खंडों में विस्तृत हैं:

5.1.2. पदस्थापन सत्यापन

राज्य	निरीक्षणों की संख्या					
	प्रतीक्षित	संपूरित	%	एड्वायजरी की संख्या		
				प्रस्तुत	हल किया	%
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0%	0	0	0%
आंध्रप्रदेश	144	144	100%	310	116	37%
असम	40	40	100%	171	81	47%
बिहार	46	44	96%	192	95	49%
गुजरात	9	9	100%	33	25	75%
हरियाणा	18	18	100%	119	69	58%
जम्मू कश्मीर	65	65	100%	231	127	55%
झारखंड	59	59	100%	246	169	69%
कर्नाटक	50	50	100%	213	134	63%
केरल	88	88	100%	224	174	78%
मेघालय	13	13	100%	62	21	33%
मणिपुर	12	12	100%	59	22	38%
पंजाब	15	15	100%	71	45	64%
पुदुचेरी	3	3	100%	28	22	79%
राजस्थान	57	57	100%	226	72	32%
सिक्किम	4	4	100%	41	28	69%
तमिलनाडु	66	62	94%	188	157	84%
तेलंगाना	139	139	100%	512	209	41%
त्रिपुरा	19	19	100%	119	74	63%
पश्चिम बंगाल	20	20	100%	129	76	59%
कुल	867	861	100%	3174	1716	54%

5.1.3. प्लेसमेंट सत्यापन

राज्य	के लिए भौतिक सत्यापन (एनआईआरडीपीआर नमूने)
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0
आंध्रप्रदेश	0
असम	13
बिहार	92
छत्तीसगढ	0
गुजरात	110
हरियाणा	31
जम्मू कश्मीर	22
झारखंड	76
कर्नाटक	0
केरल	66
महाराष्ट्र	0
मणिपुर	4
मेघालय	7
ओड़िशा	0
पंजाब	83
पुद्चेरी	0
राजस्थान	136
सिक्किम	10
तमिलनाडु	63
तेलंगाना	0
त्रिपुरा	0
पश्चिम बंगाल	0
एसआरएलएम नमूने	7
कुल	720

5.1.4. कार्य निष्पादन पुनरीक्षण में भागीदारी

क्र. सं.	राज्य	पीआईए के निष्पादन पुनरीक्षण बैठकों की संख्या आयोजित/सहभाग
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2
2	आंध्रप्रदेश	6
3	असम	4
4	बिहार	18
5	गुजरात	17
6	हरियाणा	3
7	झारखंड	8
8	जम्मू कश्मीर	13
9	कर्नाटक	6
10	केरल	9
11	मेघालय	8
12	मणिपुर	1
13	पंजाब	14
14	राजस्थान	7
15	सिक्किम	2
16	तमिलनाडु	11
17	तेलंगाना	6
18	त्रिपुरा	2
19	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	149

5.1.5. प्रशिक्षण और विकास

वित्त वर्ष 2021-22 में, एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई केंद्र के प्रशिक्षण प्रभाग ने एसआरएलएम और पीआईए के साथ आयोजित प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण का समन्वय किया है। डीडीयू-जीकेवाई, एनआईआरडीपीआर का प्रशिक्षण एवं विकास प्रभाग योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए डीडीयू-जीकेवाई के हितधारकों के लिए विषयगत कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों का आयोजन करता है। प्रशिक्षण डीडीयू-जीकेवाई टीम के सदस्यों में से बनाए गए विशेषज्ञों के एक संसाधन पूल द्वारा आयोजित किया गया था, जिनके पास डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के विभिन्न विषयों में प्रासंगिक विशेषज्ञता और ज्ञान है, जैसे कि निगरानी, वित्त, परियोजना अनुप्रयोग प्रक्रिया, संघटन, आदि। इस वित्त वर्ष में कुल 166 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 152 आभासी कार्यक्रम थे और 14 ऑफ़लाइन कार्यक्रम थे।

5.1.6. कौशल आप्ति

ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशन में डीडीयू-जीकेवाई सेल ने संभावित उम्मीदवारों के हित और उन्हें तदनुसार व्यापार विकल्प प्रदान करने के लिए एक ऐप विकसित किया है। एप्लिकेशन को क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया गया है। इसके बाद, कार्यक्रम से जुड़े एसआरएलएम, टीएसए और पीआईए के लिए एक वेबिनार सह कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य औपचारिक रूप से डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के लिए ऐप को पेश करना और कार्यान्वित करना था।

5.1.7. सीईओ सम्मेलन

09 अप्रैल 2021 को डीडीयू-जीकेवाई, कौशल एवं रोजगार केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा आभासी रूप से डीडीयू-जीकेवाई के एसआरएलएम के सीईओ और सीओओ के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय "डीडीयू-जीकेवाई में ग्रामीण युवाओं परामर्श - व्यावसायिक मार्गदर्शन और कल्याण के प्रति संरचित दृष्टिकोण" था। एक दिवसीय सम्मेलन की परिकल्पना डीडीयू-जीकेवाई के सभी हितधारकों, विशेष रूप से कार्यान्वयन भागीदारों के लिए एनआईआरडीपीआर द्वारा सुविधा प्रदान करने वाले

स्थान के रूप में की गई थी, ताकि नई संभावनाओं और नई दिशाओं के साथ अभिसरण, बातचीत और आविर्भाव हो सकें। राज्यों द्वारा साझा की गई सर्वोत्तम पद्धतियों को अन्य राज्यों द्वारा अपनाया गया है। एमओआरडी और एनआईआरडीपीआर ने पिछले सम्मेलन में राज्यों द्वारा प्रस्तुत जरूरतों और विचारों पर काम किया है, डीडीयू-जीकेवाई के लिए एकल ईआरपी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता से शुरू करते हुए प्रशिक्षक प्रशिक्षण की सुविधा, सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण का सुदृढीकरण, क्षेत्र कौशल परामर्श परिचर्चा को सुविधाजनक बनाना आदि। जैसे कि सम्मेलन का विषय "डीडीयू-जीकेवाई में ग्रामीण युवाओं परामर्श - व्यावसायिक मार्गदर्शन और कल्याण के प्रति संरचित दृष्टिकोण" था और तदनुसार उम्मीदवार की योग्यता को मापने के लिए उम्मीदवारों के चयन और परामर्श को सक्षम करने के लिए एनआईआरडीपीआर द्वारा विकसित एक ऐप पेश किया गया था, जो उम्मीदवार को बनाए रखने की कुंजी है।

5.1.8. व्यक्तिगत उन्नति और कैरियर संवर्धन (पीएसीई)

2019 में केरल और छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षकों के लिए व्यक्तिगत उन्नति और कैरियर संवर्धन मॉड्यूल का एक प्रायोगिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रारंभ में, अखिल भारतीय प्रशिक्षकों के लिए पीएसीई टीओटी आयोजित किया गया था। उसके बाद, यह निर्णय लिया गया कि राज्य इन मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से पीएसीई टीओटी को व्यापक रूप से आगे बढ़ाएंगे।

एमआईएस: डीडीयू-जीकेवाई के एमआईएस प्रभाग की कल्पना एमओआरडी के डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम की आईटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। यह टीम डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के पैन इंडिया संचालन का समर्थन करती है, जो डेटा और दस्तावेजों को हासिल करने के लिए मजबूत आईटी अवसंरचना प्रदान करती है। टीम कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक करने के लिए कई सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को डिजाइन और मॉनिटर करती है। समय-समय पर प्रत्येक हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने और डीडीयू-जीकेवाई के आवश्यक एसओपी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, टीम ने एक प्रभावी आईटी पारिस्थितिकी तंत्र का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। डीडीयू-जीकेवाई के आईटी पारिस्थितिकी तंत्र में ई-एसओपी लर्निंग पोर्टल, प्रोजेक्ट एप्लीकेशन सिस्टम, कौशल भारत, हेल्पडेस्क सिस्टम, एमओआरडी एप्लीकेशन के साथ एकीकरण (पीआरएन एप्लीकेशन, कौशल पंजी, कौशल प्रगति) और उम्मीदवार पंजीकरण, ऑनलाइन निरीक्षण और प्लेसमेंट सत्यापन सहित निगरानी प्रक्रिया के लिए मोबाइल आधारित एप्लिकेशन शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र न केवल सभी डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस का

रखरखाव करता है, बल्कि डेटा की अखंडता और सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच एकीकरण भी सुनिश्चित करता है। नीचे दिया गया आंकड़ा प्रभाग द्वारा निर्मित और अनुरक्षित आईटी पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन प्रदान करता है।

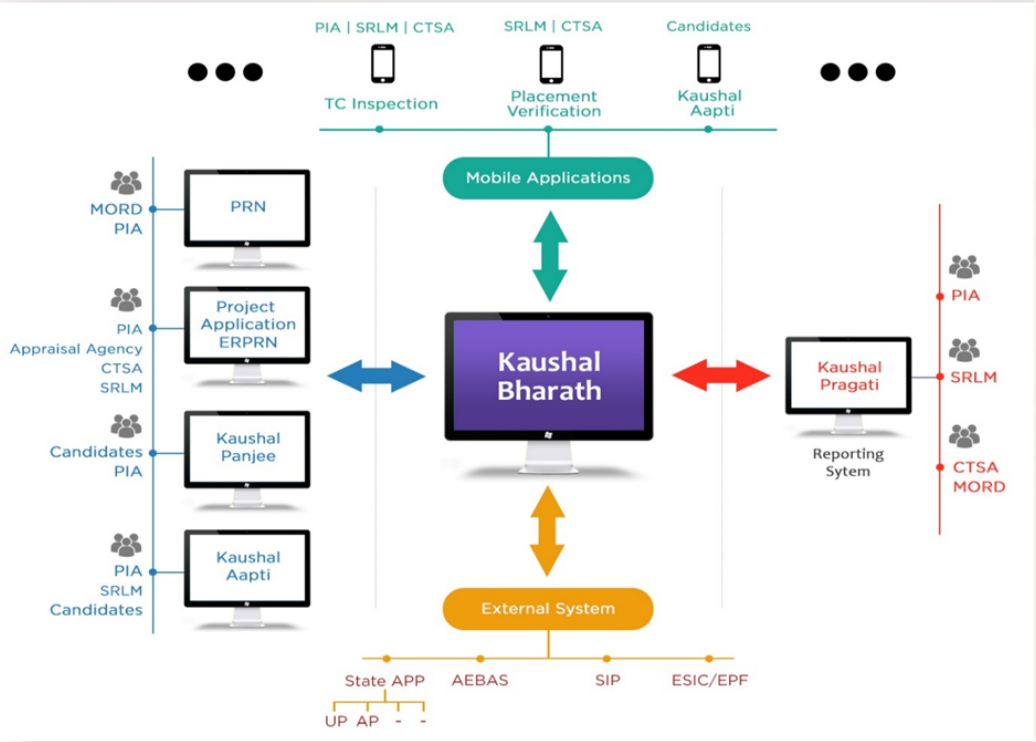

5.2 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की आरसेटी परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या, कृषि मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या और ग्रामीण आबादी का शहरी केंद्रों में प्रवास जैसी कई सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को कम करना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण बेरोजगारों को अच्छी गुणवत्ता का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का विजन और मिशन उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में प्रत्येक जिले में एक आरसेटी भवन बनाना है ताकि स्थानीय बैंकों से क्रेडिट लिंकेज की मदद से स्व-रोजगार उद्यम शुरू करके उन्हें उद्यमी बनने में सक्षम बनाया जा सके।

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तहत आरसेटी अवसंरचना तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है। एनआईआरडीपीआर को आरसेटी को प्रायोजित करने वाले विभिन्न बैंकों से सहायता अनुदान अनुरोध प्रस्तावों को प्राप्त करने और संसाधित करने, मंजूरी के लिए एमओआरडी को प्रस्तावों की सिफारिश करने, बैंकों को मंत्रालय की मंजूरी देने और आरसेटी भवनों के निर्माण के लिए प्रायोजक बैंकों को निधि जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। एनआईआरडीपीआर भवन निर्माण के लिए भूमि का निर्विवाद कब्जा प्राप्त करने में आरसेटी का मार्गदर्शन करता है, जिला या राज्य प्राधिकरणों द्वारा भूमि के आवंटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में आरसेटी को प्रायोजित करने वाले बैंकों की मदद करता है और भवन निर्माण के लिए विभिन्न मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने में भी मदद करता है। आरसेटी परियोजना प्रभाग एमओआरडी के दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार आरसेटी के भवनों के निर्माण को पूरा करने में प्रायोजक बैंकों का मार्गदर्शन करता है।

उपलब्धि की प्रगति

31.03.2022 तक, देश में विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित 587 परिचालन आरसेटी हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 13 आरसेटी को 4.37 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 31.03.2022 तक, एनआईआरडीपीआर ने देश भर में स्थित 498 आरसेटी को कुल मिलाकर 388.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। 305 जिलों में आरसेटी भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित आरसेटी की संख्या व्यापक रूप से भिन्न होती है। जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मेघालय ग्रामीण बैंक और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जैसे कुछ बैंकों ने पांच या उससे कम आरसेटी को प्रायोजित किया है, भारतीय स्टेट बैंक जैसे अन्य बैंकों ने पूरे देश में 150 से अधिक आरसेटी को प्रायोजित किया है।

आज हमारे देश में 730+ जिले हैं, और यह एमओआरडी और एनआईआरडीपीआर की अभिलाषा और प्रयास है कि हर जिले में कम से कम एक अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थान हो जो हमारी सरकार की आत्मानिर्भर भारत की इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो।

अध्याय - 6
शैक्षणिक कार्यक्रम

संस्थान ने देश में युवा ग्रामीण विकास प्रबंधन पेशेवरों के एक संवर्ग को विकसित करने के अपने दृष्टिकोण में शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। ग्रामीण विकास प्रबंधन में एक वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीआरडीएम) वर्ष 2008 में प्रति बैच 50 छात्रों की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 2018 में, संस्थान ने एआईसीटीई, नई दिल्ली के अनुमोदन से दो वर्षीय पूर्णकालिक विकास प्रबंधन-ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया।

संस्थान ने 2010 में प्रारंभिक रूप से हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) के सहयोग से स्थायी ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-एसआरडी) एक वर्ष का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद, संस्थान ने 2012 में जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-टीडीएम) और अगस्त, 2014 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग (पीजीडी -जीएआरडी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया। उपरोक्त तीन कार्यक्रम एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित हैं। वर्ष 2018 में, संस्थान ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से 'पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास' पर एक और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया।

6.1 नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

6.1.1 ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) कार्यक्रम

एक वर्षीय पीजीडीआरडीएम का 19वां बैच अगस्त 2021 में कुल 28 छात्रों के नामांकन के साथ शुरू हुआ। छात्रों का चयन समूह चर्चा के माध्यम से किया गया, जिसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार हुआ। ये छात्र भारत के विभिन्न हिस्सों से हैं, जिनमें तीन मध्य भारत से, चार दक्षिणी क्षेत्र से, पांच उत्तरी क्षेत्र से, 11 पूर्वी क्षेत्र से, तीन पश्चिमी क्षेत्र से और एक उत्तर पूर्व से हैं। नेपाल से सीआईआरडीएपी द्वारा प्रायोजित एक अंतरराष्ट्रीय सेवाकालीन छात्र कार्यक्रम का अनुसरण कर रहा था। 31 मार्च, 2022 तक, पहले दो ट्राइमेस्टर पूरे हो चुके हैं और तीसरा/अंतिम ट्राइमेस्टर जुलाई 2022 तक पूरा हो जाएगा।

6.1.2 प्रबंधन - ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम-आरएम) कार्यक्रम

पीजीडीएम-आरएम का चौथा बैच अगस्त, 2021 में 17 छात्रों के साथ शुरू हुआ। छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर, अखिल भारतीय प्रबंधन योग्यता परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया गया था। लगभग 5 (29%) प्रतिशत छात्र विज्ञान से हैं (जैसे कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान), 4 (23%) प्रतिशत छात्र विज्ञान से, 3 (17.6%) छात्र कला से, 5 (29%) प्रति प्रतिशत इंजीनियरिंग, बीसीए आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में, छात्र संगठनात्मक इंटर्नशिप कर रहे हैं। 31 मार्च, 2022 तक, पहले दो ट्राइमेस्टर पूरे हो चुके हैं और शेष चार ट्राइमेस्टर जून 2023 तक पूरे हो जाएंगे।

पीजीडीएम-आरएम का तीसरा बैच, जो अगस्त 2020 में 26 छात्रों के साथ शुरू हुआ था, अभी चल रहा है। वर्तमान में, छात्र अंतिम ट्राइमेस्टर यानी परियोजना कार्य जारी रखे हुए हैं, जो जुलाई 2022 तक पूरा हो जाएगा।

क) आवासीय कार्यक्रम के लिए ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप

फरवरी 2022 में पीजीडीआरडीएम बैच-19 और पीजीडीएम-आरएम बैच-4 के छात्रों के लिए आठ सप्ताह की ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप का आयोजन किया गया था ताकि छात्रों को ग्रामीण समाज की कठिन समस्याओं और इसकी गतिशीलता के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। क्षेत्र संलग्न घटक संस्थानों, संगठनात्मक संरचनाओं, संगठनात्मक संस्कृति, प्रबंधन प्रणालियों, मानव संसाधन विकास, वित्त, उत्पादन

प्रक्रियाओं, विपणन, मूल्य संवर्धन आदि पर केंद्रित है। यूपी-एसआईआरडी, एमपी-एसआरएलएम, बीएआईएफ-राजस्थान, आईसीआईसीआई-जोधपुर, यूपीएसआरएलएम, सृजन, बीएआईएफ, ग्राम विकास, पंजाब एसआरएलएम, मेघालय सोशल ऑडिट, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, कुदुंबश्री, टीडीसीसी (ओडिशा), यूपीएसआईआरडी, यूपीएसआरएलएम, एमपीएसआरएलएम, पंजाब एसआरएलएम, आईसीआईसीआई -– उदयपुर के लिए क्षेत्रीय कार्य संगठनात्मक संलग्नता के साथ किया गया।

ख) पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम बैच-18 का कैंपस प्लेसमेंट

संस्थान पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम के बैच 18 के छात्रों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का श्रेय लेता है, जिन्होंने अगस्त 2021 में स्नातक किया था। निम्नलिखित आठ संगठनों में सभी 21 छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान किया गया: मंजरी फाउंडेशन (1), गुजरात एसआरएलएम (1), हरियाणा एसआरएलएम (4), आईसीआईसीआई फाउंडेशन (9), कर्नाटक एसआरएलएम (3) एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ (1), रूर्बन मिशन (1), सृजन(1) ।

ग) पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम - बैच-2 का कैंपस प्लेसमेंट

संस्थान पीजीडीएमआरएम बैच - 2 के छात्रों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का श्रेय लेता है, जिन्होंने जून 2022 में संस्थान से स्नातक किया था। निम्नलिखित नौ संगठनों में सभी छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान किया गया: एमपीएसआरएलएम (14), बीआरएलपीएस (1), रुर्बन मिशन लक्षद्वीप (1), राजीविका (1), रुर्बन मिशन दादर और नगर हवेली (1), एनआईआरडीपीआर-एनआरएलएम (1), ग्राम उन्नति (1), लेट्स एंडोर्स डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड (1)।

6.2 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

6.2.1 स्थायी ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी)

18-महीने का एआईसीटीई-अनुमोदित पीजीडीएसआरडी बैच -13 कार्यक्रम (दूरस्थ मोड) 189 के साथ प्रगति पर है। इस कार्यक्रम की अवधि जनवरी 2021 से है। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमिस्टर की परीक्षाएं 5-8 जुलाई 2021 और द्वितीय सेमिस्टर की परीक्षा 2-4 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गईं। वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमिस्टर का परियोजना कार्य कर रहे हैं।

6.2.2 जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीटीडीएम)

18 महीने का एआईसीटीई-अनुमोदित पीजीडीटीडीएम बैच -10 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। इस बैच में 41 छात्र हैं। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमिस्टर की परीक्षाएं 5-8 जुलाई 2021 तक आयोजित की गईं, और दूसरे सेमिस्टर की संपर्क कक्षाएं और परीक्षाएं 2-4 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गईं। वर्तमान में, छात्र पीजीडीटीडीएम के तीसरे सेमिस्टर का परियोजना कार्य कर रहे हैं।

6.2.3 ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएआरडीए)

जनवरी, 2021 में शुरू हुआ 18 महीने का एआईसीटीई-अनुमोदित पीजीडी-जीएआरडी बैच-6 वर्तमान में प्रगति पर है। इस बैच में 118 छात्र हैं। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमिस्टर की परीक्षाएं 9-16 जुलाई 2021 तक आयोजित की गईं, और दूसरे सेमिस्टर की संपर्क कक्षाएं और परीक्षाएं 6-9 दिसंबर, 2021 तक आयोजित की गईं। वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमिस्टर का परियोजना कार्य कर रहे हैं।

6.2.4 हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास (डीपी-पीआरजीआरडी) पर डिप्लोमा कार्यक्रम

एक वर्षीय डीपी-पीआरजीआरडी कार्यक्रम का बैच-3 जनवरी 2021 में शुरू हुआ। इस बैच में 72 छात्र हैं। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमिस्टर की परीक्षाएं 19-22 जुलाई 2021 तक आयोजित की गईं, और दूसरे सेमिस्टर की संपर्क कक्षाएं और परीक्षाएं 13-15 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गईं।

अध्याय - 7

प्रशासन

7.1 प्रशासन

एनआईआरडीपीआर का प्रशासन स्कंध संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों और संस्थान के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित सभी मामलों में संकाय सदस्यों का समर्थन और सुविधा प्रदान करता है। नीति, निष्पादन और शैक्षणिक मामलों पर क्रमशः मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संस्थान की अपनी महापरिषद, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद है। संस्थान की नीतियां और रणनीतियां सामान्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महापरिषद के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद में निहित है जिसमें सचिव, ग्रामीण विकास इसके अध्यक्ष और महानिदेशक सदस्य सचिव के रूप में होते हैं।

संस्थान के अध्यक्ष महानिदेशक, अखिल भारतीय सेवाओं के एक अधिकारी होते है जो भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के होते है। महानिदेशक संस्थान के प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार होते है और कार्यकारी परिषद के निर्देशन और मार्गदर्शन में शक्तियों का प्रयोग करते है। महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और वित्तीय सलाहकार, और रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन) को सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना और प्रशिक्षण), सहायक वित्तीय सलाहकार और वेतन और लेखा अधिकारी सहायता करते है। संगठनात्मक ढाँचा निम्नलिखित चार्ट 8.1 में दर्शाया गया है।

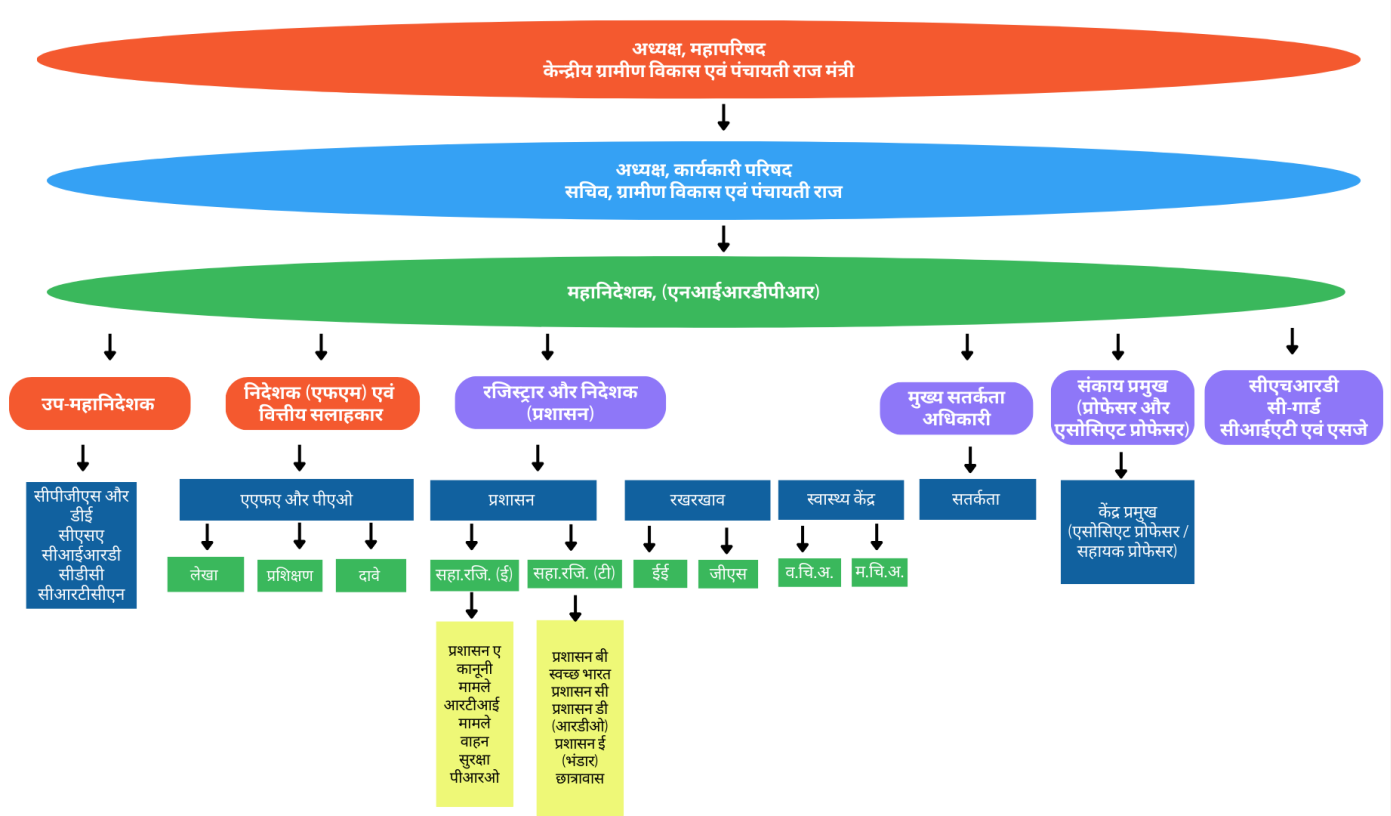

चित्र 7.1: एनआईआरडीपीआर का संगठनात्मक ढांचा

महापरिषद

महापरिषद की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार करते है। यह विभाग में भारत सरकार के संस्था के बहिर्नियम, नियमों और निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने, सामान्य नियंत्रण रखने और संस्थान के मामलों के कुशल प्रबंधन और प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने, कार्यकारी परिषद के सदस्यों को नामांकित करने आदि के लिए जिम्मेदार है। 31 मार्च, 2022 तक वर्ष 2021-22 के लिए महापरिषद का गठन परिशिष्ट-**IX** में है।

कार्यकारी परिषद

महापरिषद द्वारा जारी किए गए सामान्य नियंत्रण और निर्देशों के अध्यधीन संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी है। 31 मार्च, 2022 तक वर्ष 2021-22 के लिए कार्यकारी परिषद का गठन परिशिष्ट -**X** में है।

शैक्षणिक परिषद

शैक्षणिक परिषद संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप देने सहित अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों का निपटान करती है। शैक्षणिक परिषद की संरचना को परिशिष्ट-**XI** में दर्शाया गया है।

एनआईआरडीपीआर के कार्यरत केंद्र

ग्रामीण विकास के लिए क्षमता निर्माण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए, संस्थान के पास 7 स्कूलों के अंतर्गत आने वाले 17 केंद्र हैं जो समग्र ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, संस्थान के पास 3 व्यावसायिक सहायता केंद्र भी हैं, अर्थात, प्रलेखन और प्रकाशन मामलों के संचालन के लिए विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र; आईटी सोल्युशन प्रदान करने और आईटी अवसंरचना को बनाए रखने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र; जबकि अनुसंधान और प्रशिक्षण समन्वय और नेटवर्किंग केंद्र जो विभिन्न राज्य-स्तरीय संस्थानों के साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों के समन्वय, भागीदारी और नेटवर्किंग के लिए जिम्मेदार है।

तालिका 7.1: एनआईआरडीपीआर के स्कूल और केंद्र

क्र. सं.	स्कूल	स्कूल के अंतर्गत केंद्र
1.	विकास अध्ययन और सामाजिक न्याय	i. मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएचआरडी) ii. जेंडर अध्ययन एवं विकास केन्द्र (सीजीएसडी) iii. समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र (सीईएसडी) iv. कृषि अध्ययन केंद्र (सीएएस) v. स्नातकोत्तर अध्ययन और दूरस्थ शिक्षा केंद्र
2.	ग्रामीण आजीविका और आधारभूत संरचना	i. मजदूरी रोजगार और आजीविका केंद्र (सीडब्ल्यूई एवं एल) ii. ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र (सीआरआई) iii. उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडी एवं एफआई)
3.	सततयोग्य विकास	i. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण केंद्र (सीएनआरएम, सीसी और डीएम)
4.	जन नीति और सुशासन	i. योजना, निगरानी और मूल्यांकन केंद्र (सीपीएमई) ii. सीएसआर, सरकारी निजी भागीदारी और जन कार्रवाई केंद्र (सीसी, पीपीपी एवंपीए) iii. सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजी एवं पीए)
5.	स्थानीय शासन	i. पंचायती राज विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र (सीपीआरडीपी और एसएसडी)
6.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रणाली	i. ग्रामीण विकास में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र (सीजीएआरडी) ii. कौशल और नौकरियों के लिए नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी एंड एसजे)
7.	जवाबदेही और पारदर्शिता (एएवंटी)	i. सामाजिक लेखा परीक्षा केन्द्र (सीएसए) ii. ग्रामीण विकास में आंतरिक लेखा परीक्षा केंद्र (सीआईएआरडी)
व्यावसायिक सहायता केंद्र		i. विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र (सीडीसी) ii. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी) iii. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वय एवं नेटवर्किंग केन्द्र (सीआरटीसीएन)

सामान्य प्रशासन

महानिदेशक, संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते है जो संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं और कार्यकारी परिषद के निर्देशन और मार्गदर्शन में शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संस्थान का प्रशासन समन्वय, सांविधिक बैठकों का आयोजन, स्थापना और कार्मिक प्रबंधन, अतिथि गृहों का प्रबंधन, परिसर, सहायता सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और कर्मचारियों के कल्याण के लिए जिम्मेदार है।

सांविधिक बैठकें

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित सांविधिक बैठकें निम्नलिखित हैं:

बैठक	तिथि	स्थान
132वीं कार्यकारी परिषद	**01.07.2021**	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
133वीं कार्यकारी परिषद	**07.01.2022**	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
64वीं महापरिषद	**30.09.2021**	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला संकाय सदस्य करती हैं। इस दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

संस्थान ने सूचना प्रदान करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। एनआईआरडीपीआर वेबसाइट आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य प्रकटीकरण का विवरण प्रदान करती है। संस्थान ने आरटीआई आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण, जन सूचना अधिकारी, दो सहायक जन सूचना अधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी नामित किए हैं और उनके नाम भी एनआईआरडीपीआर वेबसाइट प्रदर्शित किए गए हैं। संस्थान के पास गुवाहाटी और एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा में अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) के लिए एक अलग अपीलीय प्राधिकरण और जन सूचना अधिकारी भी है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न मुद्दों पर 275 आरटीआई आवेदन और अपील प्राप्त हुए और प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया गया। संस्थान ने प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य ऑनलाइन त्रैमासिक रिटर्न भी जमा किया। प्राप्त आरटीआई आवेदन परियोजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों, सेवा मामलों, अदालती मामलों, भर्ती, प्रकाशनों और अपीलों आदि से संबंधित हैं।

कर्मचारी विवरण

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कुल संख्या तालिका 7.2 में दी गई है:

तालिका 7.2: शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या

I.	शैक्षणिक पद						
वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	अन्य	कुल	पूर्व सैनिक	कुल संख्या में से महिलाएं
समूह-ए	6	2	13	31	52	-	13
समूह-बी	-	-	-	1	1	-	-
कुल	6	3	14	33	56	-	15
II.	गैर-शैक्षणिक पद						
वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	अन्य	कुल	पूर्व सैनिक	कॉलम 6 में से महिलाएं
समूह-ए	7	2	-	9	18	-	3
समूह-बी	11	3	10	19	43	-	12
समूह-सी	11	6	31	49	97	3	24
समूह-सी (पुनः वर्गीकृत)	31	6	17	20	74	1	15
कुल	66	19	71	129	285	4	67

बड़ी संख्या में समूह सी और पुनर्वर्गीकृत समूह सी के कर्मचारियों को संस्थान के परोपकारी निधि से बहुत कम ब्याज दरों पर उच्च शिक्षा/उनके बच्चों की शादी के लिए ऋण स्वीकृत करने जैसे लाभ दिए गए।

7.2 प्रलेखन एवं संचार

संस्थान के पास व्यावसायिक सहायता केंद्र है, अर्थात्, विकास प्रलेखन और संचार केंद्र (सीडीसी) जिसमें पाँच उप-विभाजन हैं, अर्थात्। i) प्रलेखन, ii) पुस्तकालय, iii) प्रकाशन, iv) राजभाषा, और v) श्रव्य-दृश्य। संस्थान के अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों और विकास समुदाय के अन्य सदस्यों को सूचना समर्थन प्रदान करने के लिए, सीडीसी ग्रामीण विकास साहित्य की पहचान करने, एकत्र करने और दस्तावेजीकरण करने और प्रभावी और व्यापक प्रसार के लिए उसी का दस्तावेजीकरण करने में जुड़ा हुआ है। प्रिंट और गैर-प्रिंट के रूप में सूचना संसाधनों का एक समृद्ध संग्रह, जैसे किताबें, पत्रिकाएं, सीडी/डीवीडी, ई-पुस्तकें, और ग्रामीण विकास पर ई-डेटाबेस और वर्षों से संबद्ध पहलू एनआईआरडीपीआर की ताकत हैं और उसी के प्रसार के लिए एक मजबूत सूचना भंडार का गठन करता है। संस्थान विभिन्न प्रकाशनों को प्रकाशित करता है और हितधारकों को ग्रामीण विकास की जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के अपने प्रयास में सूचना सेवाएं प्रदान करता है। 2021-22 के दौरान, संस्थान ने अपने संग्रह में कुल 254 पुस्तकें और अन्य दस्तावेज़ जोड़े। केंद्र में 1,24,010 पुस्तकों का संग्रह है। संस्थान प्रतिभागियों और कर्मचारियों के लाभ के लिए हिंदी पुस्तकों का एक अलग संग्रह भी रखता है। आवश्यकता और मांग के आधार पर इस खंड में नियमित रूप से पुस्तकें जोड़ी जाती हैं।

संस्थान ने नए आगमन, अवधि के दौरान प्राप्त पत्रिकाओं, ई-संसाधनों और केंद्र में नवीनतम घटनाओं पर सूचना का प्रसार करने के लिए वर्ष 2020 में एक द्वैमासिक समाचार पत्र ई-बुलेटिन भी शुरू किया।

ई-संसाधन

रिमोट एक्सएस (9 महीने) और के-निंबस सर्वर (3 महीने) के माध्यम से एनआईआरडीपीआर पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं (छात्रों, संकाय और कर्मचारियों, एनईआरसी, एसआईआरडी) द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक दूरस्थ रूप से पहुंच योग्य है। ईमेल आईडी वाले उपयोगकर्ता एनआईआरडीपीआर पोर्टल में सूचीबद्ध ई-संसाधनों के विभिन्न रूपों जैसे ई-पुस्तकों, ई-पत्रिकाओं और ई-डेटाबेस आदि तक पहुंच सकते हैं।

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली

डिजिटल प्रारूप में दस्तावेजों के व्यवस्थित प्रबंधन को लागू करने और सूचना सुरक्षा नीति को बनाए रखने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने एक वेब-आधारित दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) स्थापित की है। दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) एक प्रणाली है जिसका उपयोग दस्तावेज़ों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और संग्रहीत करने और कागज़ के उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। अधिकांश विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्मित और संशोधित विभिन्न संस्करणों का रिकॉर्ड रखने में सक्षम हैं। यह आपकी व्यावसायिक फ़ाइलों के साथ कार्यों को व्यवस्थित करने, सुरक्षित करने, कैप्चर करने, डिजिटाइज़ करने, टैग करने, स्वीकृत करने और कार्यों को पूरा करने का एक स्वचालित तरीका है। हालाँकि अधिकांश दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणालियाँ क्लाउड में डेटा संग्रहीत करती हैं, यह केवल क्लाउड स्टोरेज से कहीं अधिक है।

डीएमएस में प्रलेखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या 632 है, जिसमें 31.03.2022 तक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, आयोजित कार्यक्रमों की अध्ययन सामग्री, शोध पत्र, वार्षिक रिपोर्ट आदि शामिल हैं।

सूचना प्रसार

संस्थान के पास ग्रामीण विकास के बारे में जानकारी का प्रसार करने का अधिकार है। जनादेश को पूरा करने में, संस्थान नियमित रूप से एक त्रैमासिक पत्रिका और एक मासिक समाचार पत्र के साथ-साथ अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करता है, जिसमें अनुसंधान विशिष्टताएं, शोध रिपोर्ट, ग्रामीण विकास सांख्यिकी आदि शामिल हैं। भारत में ग्रामीण विकास साहित्य के एक प्रमुख प्रकाशक के रूप में, एनआईआरडीपीआर अपने नियमित प्रकाशनों, सामयिक पत्रों आदि के माध्यम से नीति नियोजकों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों के साथ वर्तमान सामयिक महत्व के मुद्दों पर अपने शोध निष्कर्षों, अवलोकन क्षेत्र की वास्तविकताओं और विचारों को साझा करने का प्रयास करता है। एनआईआरडीपीआर के प्रकाशन जमीनी स्तर की वास्तविकताओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए सुझाव और दिशानिर्देश प्रदान करने के मामले में नीति निर्माताओं की सहायता करते हैं।

प्रकाशन

i) ग्रामीण विकास पत्रिका

ग्रामीण विकास की त्रैमासिक पत्रिका एनआईआरडीपीआर का प्रमुख प्रकाशन है और ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकृत प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी अकादमिक पत्रिकाओं में से एक है। देश के भीतर और बाहर प्रभावशाली परिसंचरण के साथ, यह अकादमिक समुदाय, ग्रामीण विकास प्रशासकों और योजनाकारों द्वारा सबसे अधिक मांग वाली पत्रिकाओं में से एक है। वर्ष के दौरान जेआरडी के चार अंक (खंड 39.4, खंड 40.1, खंड 40.2 और खंड 40.3) प्रकाशित किए गए। खंड 40.1 कोविड पर एक विशेष अंक था, जबकि खंड 40.2 एक 40वां विशेष संस्करण था। इन अंकों में 33 लेख और दो पुस्तक समीक्षाएँ थीं।

ii) एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र

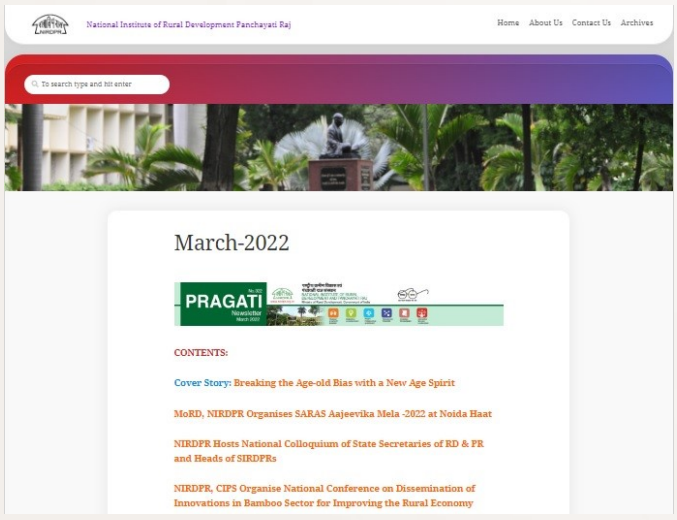

एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र 'प्रगति', एक मासिक प्रकाशन, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं की सिफारिशों और एनआईआरडीपीआर द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है। समाचार पत्र में संकाय विकास, मामला अध्ययन, ग्रामीण विकास पेशेवरों के साक्षात्कार, सफलता की कहानियां, दौरे और प्रतिनिधिमंडल - भारतीय और विदेशी दोनों - संस्थान के समाचार , ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर आवरण कहानी आदि शामिल हैं। इस माध्यम से, एनआईआरडीपीआर अपने हितधारकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखता है, जिसमें एसआईआरडी, ईटीसी, डीआरडीए आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रगति समाचार पत्र में एसआईआरडी और ईटीसी की गतिविधियों की अधिक व्यापक कवरेज देने की पहल भी शुरू की गई है। वर्ष के दौरान अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक प्रगति समाचार पत्र संख्या 311 से 322 के बारह अंक प्रकाशित किए गए।

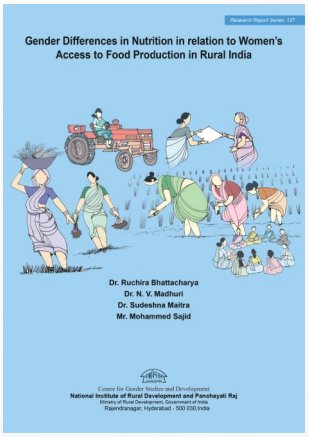

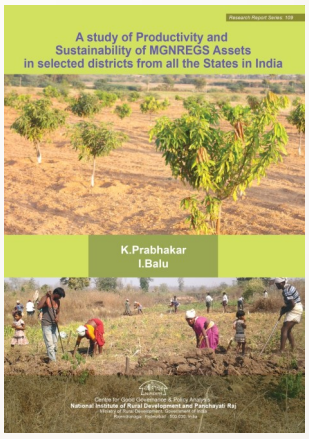

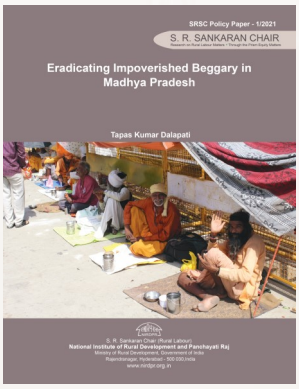

iii) वर्ष 2021-22 के दौरान अन्य प्रकाशन - 7 प्रकाशनों की संख्या, जिनमें अनुसंधान रिपोर्ट, हैंडबुक, शिक्षण सामग्री, संग्रह आदि शामिल हैं।

iv) अनुसंधान रिपोर्ट – 10

v) वर्किंग पेपर्स – 2

vi) नीति पत्र - 1 -मध्य प्रदेश में गरीब भिक्षावृत्ति उन्मूलन

अन्य: वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा

8.3 राजभाषा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा (हिंदी) नीति के व्यापक कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

1. संस्थान के हिंदी ई-प्रकाशन और प्रकाशन

2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन

संस्थान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरी तरह अनुपालन करने का प्रयास कर रहा है। मुख्य द्वार पर संस्थान का नाम तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में प्रदर्शित किया गया है। संस्थान के सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट और साईनबोर्ड द्विभाषी रूप में हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में जारी किए गए। संस्थान में उपयोग किए जाने वाले बीस प्रपत्रों को भी द्विभाषी बनाया गया और ये सभी प्रपत्र वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

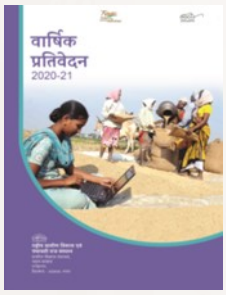

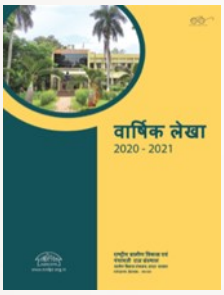

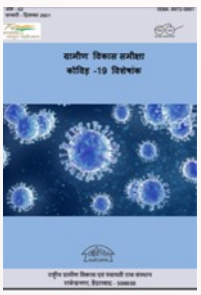

3. महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद में मोरिंगा ओलीफेरा पर एक पुस्तिका; एफपीओ मैनुअल -1 और 2; आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम -1 और 2; समय और गति अध्ययन पद्धति; पोषण-संवेदनशील कृषि - 1 और 2; तथा वाश शामिल है।

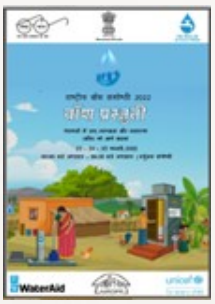

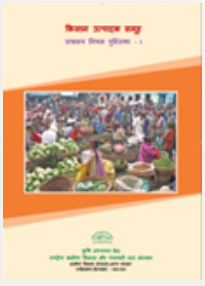

4. आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी पखवाड़े का आयोजन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार हेतु संस्थान में 6 से 20 सितम्बर, 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव एवं हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। समारोह के एक भाग के रूप में, संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 23 सितंबर, 2021 को हिंदी दिवस मनाया गया।

5. कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा/टंकण कक्षाएं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संस्थान के 25 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित हिंदी भाषा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था। ऑनलाइन हिंदी टंकण कक्षाओं के लिए चार कर्मचारियों को नामांकित किया गया था। विभिन्न भाषा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं कार्यालय परिसर में आयोजित की गईं और प्रशासन ने परीक्षा आयोजित करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया।

6. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित कर हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लिया गया।

7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति – 2 की बैठक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2 हैदराबाद की बैठक 2 दिसंबर, 2021 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में आयोजित की गई। डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री शशि भूषण, उप महानिदेशक, डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (प्रभारी), सीडीसी, डॉ. नरेश बाला, उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, सिकंदराबाद, विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी और अन्य हिंदी अधिकारी इस बैठक के दौरान उपस्थित थे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के महानिदेशक एवं अध्यक्ष (टीओएलआईसी) ने कहा कि राजभाषा के रूप में हिंदी को सरकारी कामकाज में महत्व दिया जाना चाहिए।

अध्याय - 8
वित्त और लेखा

एनआईआरडीपीआर अपने सभी गतिविधियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। हर साल, अनुमोदित बजट के अनुसार, मंत्रालय वेतन / सामान्य शीर्षों के तहत अनुदान जारी करता है। एनआईआरडीपीआर के प्रस्तावों और आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान भी जारी किया जाता है।संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग को बजट, भुगतान और निधियों के लेखांकन, वार्षिक लेखा की तैयारी आदि के कार्य सौंपे जाते हैं। संस्थान प्रति वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होनेवाले और 31 मार्च को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। संस्थान के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सीएजी द्वारा अनुमोदित निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए संस्थान के लेखा को यथोचित तैयार किया जाता है। संस्थान के लेखा पर सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट हर साल वार्षिक लेखा में शामिल की जाती है और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

संस्थान की मुख्य गतिविधियों जैसे क्षमता निर्माण, अनुसंधान, विकास, सेमिनार और सम्मेलन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, प्रकाशन, पत्रिकाओं की सदस्यता, पुस्तकालय, रखरखाव और अन्य आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय पर व्ययों को पूरा करने के लिए वेतन / सामान्य शीर्षों के तहत जारी अनुदान को जारी किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई), रूर्बन मिशन, मनरेगा, सामाजिक लेखापरीक्षा के तहत क्षमता निर्माण, एनआरएलएम, आरसेटी, आदि के लिए एमओआरडी के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से निधियां भी प्राप्त होती हैं। विभिन्न अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय निकायों से भी अनुसंधान, प्रभाव मूल्यांकन और क्षमता निर्माण के लिए निधियां प्राप्त होती हैं जो कि वित्त पोषण एजेंसियों की आवश्यकता के लिए विशिष्ट हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, संस्थान का व्यय 114.28 करोड़ रुपये है, जिसके मुकाबले जारी किया गया अनुदान केवल 105.48 करोड़ रुपये था। पिछले पांच वर्षों के लिए जारी अनुदानों और किए गए व्यय के संबंध में निम्नलिखित ग्राफ की प्रस्तुति इस प्रकार है।

वर्ष	कुल अनुदान (रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
2017-18	**50.00**	**70.88**
2018-19	**72.17**	**79.32**
2019-20	**80.42**	**80.00**
2020-21	**80.43**	**327.85***
2021-22	**105.48**	**114.28**

*बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर रू. 262.50 करोड़ के सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन के लिए प्रावधान शामिल है।

एनआईआरडीपीआर संचित निधि

एनआईआरडीपीआर का संचित निधि 2008-09 में 21 अगस्त 2008 को आयोजित अपनी 105 वीं बैठक में कार्यकारी परिषद (ईसी) की मंजूरी के साथ स्थापित किया गया था। दिनांक 01-07-2021 को हुई कार्यकारी परिषद की 132वीं बैठक में संचित निधि संशोधन नियम, 2021 एवं संचित निधि निवेश नीति को मंजूरी दी गई। कॉर्पस फंड नियम फंड के संचालन और प्रबंधन को दर्शाते हैं और उद्देश्यों, स्रोतों, अनुप्रयोगों, फंड के प्रबंधन आदि को निर्दिष्ट करते हैं। निधि का प्राथमिक उद्देश्य संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। 31 मार्च 2022 तक, संचित निधि 31 मार्च 2021 को 316.40 करोड़ रुपये के मुकाबले 377.11 करोड़ रुपये रहा।

Final figures are subject to validation as may be given in the SAR.

संचित निधि प्रबंधन समिति का गठन: कार्यकारी परिषद ने निधि के संचालन और प्रबंधन की देखरेख के लिए संचित निधि प्रबंधन समिति (सीएफएमसी) का गठन किया, जिसकी परिकल्पना ईसी-अनुमोदित संचित निधि नियमों में की गई है।

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (समिति के अध्यक्ष)
2. उपमहानिदेशक, एनआईआरडीपीआर
3. निदेशक (एफएम) और एफए, एनआईआरडीपीआर
4. रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन), एनआईआरडीपीआर
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय के आईएफडी से नामित एक सदस्य
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग से नामित एक सदस्य
7. निवेश प्रबंधन/बैंकिंग/फंड प्रबंधन में विशेषज्ञता वाले दो बाहरी विशेषज्ञ
8. महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा नामित एक संकाय सदस्य (वैकल्पिक)

नोट: मेम्बर्स @ (v) और (vi) को एमओआरडी द्वारा नामित किया जाएगा और ईसी को सूचित किया जाएगा।

संचित निधि नियमों के अनुसार, समिति को जितनी बार निधि से संबंधित व्यवसाय के लेनदेन के लिए आवश्यक समझा जाता है उतनी बार बैठक करनी होती है। निधि का परिचालन प्रबंधन ईसी द्वारा सीएफएमसी को सौंपा गया है।

तदनुसार, एनआईआरडीपीआर सीएफएमसी के सदस्य को नामांकित करने के संस्थान के अनुरोध के जवाब में, एमओआरडी ने डॉ. सुपर्णा पचौरी, संयुक्त सचिव (वित्त), एमओआरडी और श्री दिनेश कुमार, उप सचिव, प्रशिक्षण प्रभाग, एमओआरडी को नामित किया। निवेश बैंकिंग में विशेषज्ञों की पहचान के लिए, अनुभव, योग्यता और आयु के आधार पर कई उम्मीदवारों पर विचार करते हुए कोष, ऋण और सामान्य बैंकिंग सहित वित्तीय बाजारों में 30 से अधिक वर्षों का सुसंगत अनुभव रखने वाले श्री माधवन शेखर और श्री राजगोपाल कृष्णास्वामी, दोनों सेवानिवृत्त बैंकर को समिति में नामित किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता वाली संचित निधि प्रबंधन समिति की एक उप-समिति संचित निधि के दिन-प्रतिदिन के निवेश निर्णयों से संबंधित है।

एनआईआरडीपीआर द्वारा अनुरक्षित अन्य निधि - संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं:

संस्थान ने विकास निधि, परोपकारी निधि, भविष्य निधि, भवन निधि और चिकित्सा कोष निधि की भी स्थापना की, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयोजन-उन्मुख हैं। निधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क. एनआईआरडीपीआर के प्रतिभाशाली कर्मचारी/अधिकारीयों की उच्चतम शिक्षा, संस्थान के वित्त विशिष्ट विकासात्मक परियोजनाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 04-10-1982 को आयोजित 47 वीं ईसी बैठक में विकास निधि को मंजूरी दी गई थी। निधि का मुख्य स्रोत परामर्शी परियोजनाओं से संस्थान की निवल बचत/आय का एक निश्चित भाग और कोष के निवेश पर अर्जित ब्याज है। 31 मार्च 2022 तक निधि का शेष 10.23 करोड़ रुपये था।

ख. कर्मचारियों के कल्याण के उपाय जैसे ग्रुप सी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए ऋण, मृतक कर्मचारियों के परिवारों को एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उसी बैठक में परोपकारी निधि को भी मंजूरी दी गई थी । निधि का मुख्य स्रोत परामर्शी परियोजनाओं से संस्थान की निवल बचत/आय का एक निश्चित भाग और कोष के निवेश पर अर्जित ब्याज है। 31 मार्च 2022 तक निधि का शेष 2.23 करोड़ रुपये था।

ग. 20-04-1989 को आयोजित 63 वीं ईसी बैठक में मुख्य रूप से उसी के लिए निर्धारित निधि से संस्थान के ढांचागत विकास के लिए भवन निर्माण निधि को मंजूरी दी गई थी। 31 मार्च 2022 तक निधि की शेष राशि 16.54 करोड़ रुपये थी।

घ. संस्थान के कर्मचारियों के पीएफ से संबंधित सभी लेनदेन के लिए भविष्य निधि की स्थापना की गई थी। 31 मार्च 2022 को निधि का शेष 33.84 करोड़ रुपये था।

ङ. चिकित्सा संचित निधि की स्थापना 2009 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए की गई थी। इस निधि का स्रोत कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अंशदान और निधि पर अर्जित ब्याज हैं। 31 मार्च 2022 को निधि की शेष राशि 6.75 करोड़ रुपये थी।

परिशिष्ट - I

वर्ष 2021-22 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण											
महीना	सरकारी अधिकारीगण	बैंकर और वाणिज्यि संगठन	जेडपी & पीआईआई	गैर सरकारी संगठन	राष्ट्रीय / राज्य संस्थान	विश्वविद्यालय / कॉलेज	अंतरराष्ट्रीय	अन्य/युवा/ पीएसयू/ व्यक्तिगत	कुल	महिलाएं	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
क) हैदराबाद											
अप्रैल	395	51	5	30	22	16	1	4	524	72	10
मई	1092	253	46	196	116	21	1	36	1761	415	21
जून	815	171	96	395	193	120	0	224	2014	476	35
जुलाई	2043	162	227	621	92	161	36	308	3650	845	55
अगस्त	15613	503	265	280	69	203	0	133	17066	544	45
सितंबर	1648	32	158	297	220	119	0	95	2569	674	39
अक्तूबर	1028	11	59	120	74	106	22	247	1667	272	27
नवंबर	1136	72	11	302	79	28	0	201	1829	299	32
दिसंबर	789	164	11	217	0	15	0	133	1329	194	18
जनवरी	498	97	0	37	0	0	0	85	717	122	14
फरवरी	528	0	0	393	0	0	0	0	921	127	9
मार्च	1058	306	430	377	271	188	19	187	2836	613	65
कुल									36883	4653	370
ख) आरटीपी											
अप्रैल								451	451	64	6
मई								510	510	106	9
जून								591	591	79	19
जुलाई	5					690		1321	2016	338	66
अगस्त								286	286	498	63
सितंबर								287	287	130	34
अक्तूबर								287	287	0	28
नवंबर								286	286	0	
दिसंबर								286	286	0	7
जनवरी								306	306	10	1
फरवरी								287	287	4	1
मार्च	131					189	30	456	806	58	10
कुल									6399	1287	244
ग) एनआरएलएमआरसी											
अप्रैल								355	355	76	5
मई								465	465	380	9
जून		820						1133	1953	772	40
जुलाई		2235						1379	3614	1302	68
अगस्त		1493						810	2303	641	32
सितंबर		1332						1551	2883	1253	67
अक्तूबर		893						1563	2456	1011	52
नवंबर		248						1279	1527	855	42
दिसंबर								2873	2873	1131	43
जनवरी								1667	1667	1041	31
फरवरी								303	303	150	7
मार्च								452	452	360	11
कुल									20851	8972	407

जारी...

वर्ष 2021-22 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण

महीना	सरकारी अधिकारीगण	बैंकर और वाणिज्यि संगठन	जेडपी & पीआईआई	गैर सरकारी संग्ठन	राष्ट्रीय / राज्य संस्थान	विश्वविद्यालय / कॉलेज	अंतरराष्ट्रीय	अन्य/युवा/ पीएसयू/ व्यक्तिगत	कुल	महिलाएं	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
घ) डीडीयूजीकेवाई											
अप्रैल								338	338	60	8
मई								214	214	59	7
जून								946	946	185	19
जुलाई								547	547	163	21
अगस्त								574	574	139	22
सितंबर								491	491	168	16
अक्तूबर								312	312	65	10
नवंबर								578	578	109	16
दिसंबर								443	443	73	14
जनवरी								367	367	87	9
फरवरी								445	445	75	12
मार्च								578	628	91	12
कुल									5883	1274	166
च) एनईआरसी											
अप्रैल									0		
मई	311	1	33	71		44	28	1	489	118	5
जून	554			24		69	12		659	190	8
जुलाई	506	1		59		28	16		610	170	8
अगस्त	34			17		7	3	4	65	8	2
सितंबर	290	2	6	59		62	27	1	447	118	10
अक्तूबर				36					36	12	1
नवंबर	88					1		57	146	66	3
दिसंबर	213								213	34	2
जनवरी	44	2		24		7			77	12	2
फरवरी	131	1		15		16		52	215	22	5
मार्च	26	1	1	25		81			134	40	3
कुल									3091	790	49
छ) एनआरएलएमआरसी एनईआरसी											
अप्रैल									0		
मई	307	0						0	307	111	9
जून	440	23							463	158	8
जुलाई	305	28							333	117	8
अगस्त	166	100							266	61	5
सितंबर	274	50						0	324	111	6
अक्तूबर	67	0							67	21	2
नवंबर	164	0							164	52	6
दिसंबर	35	18							53	16	2
जनवरी	151	0							151	57	3
फरवरी	66	30						185	281	213	5
मार्च	91								91	27	3
कुल									2500	944	57

जारी...

वर्ष 2021-22 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण											
महीना	सरकारी अधिकारीगण	बैंकर और वाणिज्यि संगठन	जेडपी & पीआईआई	गैर सरकारी संग्ठन	राष्ट्रीय / राज्य संस्थान	विश्वविद्यालय / कॉलेज	अंतरराष्ट्रीय	अन्य/युवा/ पीएसयू/ व्यक्तिगत	कुल	महिलाएं	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
ज) एनआईआरडीपीआर दिल्ली											
अप्रैल									0	0	
मई									0	0	
जून									0	0	
जुलाई	148	63		32					243	72	5
अगस्त	68	56							124	56	3
सितंबर	52			40					92	15	2
अक्तूबर									0	0	
नवंबर	123							319	442	0	10
दिसंबर	80			37					117	12	
जनवरी	147								147	0	2
फरवरी									0	0	2
मार्च		28		19					47	37	2
कुल									1212	192	26
कुल योग									76819	18112	1319

परिशिष्ट - II

वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए शोध अध्ययन			
क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
क.	एनआईआरडीपीआर अनुसंधान		
1	ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियां (तीन राज्यों से कई मामलों का अध्ययन)	डॉ. आर. रमेश	अप्रैल, 2021
2	कोविड-19 के दौरान जमीनी स्तर पर उत्तरदायी शासन प्राप्त करने की रणनीतियां, अवसर और समस्याएं - चयनित राज्यों का एक अध्ययन	डॉ. आर अरूणा जयमणी	अप्रैल, 2021
3	भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण	डॉ.रत्ना भुइयां, डॉ. आर.एओ, श्री पी.पी. भट्टाचार्जी, डॉ सुरजीत विक्रमण	मई, 2021
4	प्रवासी मजदूरों की घर वापसी: बिहार राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव का आकलन	डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव	मई, 2021
5	उत्तर प्रदेश सामाजिक अंकेक्षण संगठन का मूल्यांकन	डॉ.श्रीनिवास सज्जा, डॉ.राजेश कुमार सिन्हा, डॉ. सी.धीरजा	मई, 2021
6	सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेहिता एवं पारदशिता (एसएसएएटी), तेलंगाना के लिए सोसायटी का मूल्यांकन	डॉ राजेश कुमार सिन्हा, डॉ. श्रीनिवास सज्जा, डॉ. सी. धीरजा	मई, 2021
7	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका की खोज: केरल और ओडिशा में एक तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. सुब्रत कुमार मिश्रा, डॉ. किरण जालेम	मई, 2021
8	चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन और शासन की चुनौतियों की स्थिति: छत्तीसगढ़ में एक अध्ययन	डॉ. रुबीना नुसरत	मई, 2021
9	सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण का मूल्यांकन	डॉ. सी.धीरजा	मई, 2021
10	सतत विकास लक्ष्य 5 का स्थानीयकरण करके लैंगिक अनुकूल ग्राम पंचायत विकास योजना को साकार करना	डॉ. अंजन कुमार भांजा, डॉ. वानिश्री जोसेफ, डॉ. सुचरिता पुजारी	जुलाई, 2021
11	ग्रामीण उत्तर प्रदेश के बच्चों के पोषण की स्थिति पर एकीकृत बाल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता: एक जिलावार विश्लेषण	डॉ. लखन सिंह, डॉ. लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आईआईपीएस, मुंबई	जुलाई, 2021
12	एनआईआरडीपीआर द्वारा "तेलंगाना राज्य में सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए जागरूकता निर्माण और सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति" पर कार्यान्वित परामर्श परियोजना पर एक त्वरित अध्ययन	डॉ. जे. वनीश्री	नवम्बर, 2021
ख.	मामला अध्ययन		
13	झारखंड की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) के साथ सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) का जुड़ाव: एक केस स्टडी	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा	मई, 2021
14	मेघालय सामाजिक लेखा परीक्षा यूनिट पर केस स्टडी	डॉ. श्रीनिवास सज्जा, डॉ. आर. मुरुगेसन	मई, 2021
15	गुदुर मंडल, महबूबाबाद जिला, तेलंगाना में जनजातीय आबादी के बीच पोषण अभियान के प्रभाव का आकलन	डॉ. सोनल मोबार रॉय	जुलाई, 2021

परिशिष्ट-III

वर्ष **2021-22** के दौरान पूर्ण किए गए अनुसंधान अध्ययन			
क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
क.	एनआईआरडीपीआर अनुसंधान		
1	ट्रांसजेंडर लोगों का सामाजिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन और उन्हें मुख्यधारा में लाने की रणनीतियां	डॉ. एस. एन. राव	**2017-18**
2	मनरेगा में सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से पहचानी गई अनियमितताओं का विश्लेषण	डॉ. सी.धीरजा	**2018-19**
3	उपयोग और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ ओडीएफ स्थिति का पुन: सत्यापन: एक अनुभवजन्य जांच	डॉ. आर. रमेश डॉ. पी. शिवराम	**2018-19**
4	ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व के अपने स्रोतों (ओएसआर) को बढ़ाने की पहल और विकास में इसकी भूमिका - चयनित राज्यों में एक अध्ययन	डॉ. आर. चिन्नादुरै	**2018-19**
5	लोअर कावेरी डेल्टा में ए सेंचुरी ऑफ एग्रेरियन चेंज: ए स्टडी ऑफ पलाकुरिची विलेज, **1918-2018**	डॉ. सुरजीत विक्रमन डॉ. मुरुगेसन	**2019-20**
6	महिलाओं के पोषण/स्वच्छता पद्धतियां में सुधार के लिए **SERP** तेलंगाना के स्वास्थ्य/पोषण हस्तक्षेप की प्रभावशीलता	डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य	**2019-20**
7	ग्राम पंचायत के लिए ई-गवर्नेंस रेडीनेस इंडेक्स का विकास	श्री के. राजेश्वर	**2019-20**
8	ग्रामीण युवाओं के कौशल और रोजगार के निर्माण में आरसेटी की दक्षता पर एक अध्ययन	डॉ. आर. अरुणा जयमणि, सुश्री सेनबगवल्ली, निदेशक, आरसेटी	**2019-20**
9	चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन और शासन की चुनौतियों की स्थिति: छत्तीसगढ़ में एक अध्ययन	डॉ. रुबीना नुसरत	**2021-22**
10	कोविड-**19** के दौरान जमीनी स्तर पर उत्तरदायी शासन प्राप्त करने की रणनीतियां, अवसर और समस्याएं - चयनित राज्यों का एक अध्ययन	डॉ. आर. अरुणा जयमणि	**2021-22**
11	सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता (एसएसएएटी), तेलंगाना के लिए सोसायटी का मूल्यांकन	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, डॉ. श्रीनिवास सज्जा, डॉ. सी. धीरजा	**2021-22**
12	एनआईआरडीपीआर द्वारा "तेलंगाना राज्य में सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए जागरूकता निर्माण और सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति" पर कार्यान्वित परामर्श परियोजना पर एक त्वरित अध्ययन	डॉ. जे. वानिश्री	**2021-22**
ख.	मामला अध्ययन		
13	झारखंड की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) के साथ सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) का जुड़ाव: एक केस स्टडी	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा	**2021-22**
14	गुदुर मंडल, महबूबाबाद जिला, तेलंगाना में जनजातीय आबादी के बीच पोषण अभियान के प्रभाव का आकलन	डॉ. सोनल मोबार रॉय	**2021-22**

जारी...

वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्ण किए गए अनुसंधान अध्ययन			
क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
ग.	सहयोगी अध्ययन		
15	पापुमपारे जिले के अंतर्गत राग सीडी ब्लॉक और एसआईआरडी के आस-पास के गांवों में एसएचजी के माध्यम से आजीविका परियोजनाएं/सूक्ष्म उद्यम	डॉ. लिखा किरण कबाक एसआईआरडी, अरुणाचल प्रदेश	2014-15
16	झारखंड में ई-पंचायत - चुनौतियां और प्रस्तावित समाधान	श्री अनिल कुमार यादव एसआईआरडी, झारखंड	2016-17
17	पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और अली के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (लोढ़ा, बिरहोर और टोटो) से संबंधित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के पोषण और शैक्षिक स्थिति पर पके हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक क्रॉस-अनुभागीय अध्ययन	श्री श्रीमती गायत्री बसु डॉ. अनिर्बान मजुमदार बीआरएआईपीआरडी, पश्चिम बंगाल	2017-18
18	शिक्षा और महिला अधिकारिता और लैंगिक न्याय के बीच संबंधों की खोज: पश्चिम बंगाल, केरल और मिजोरम के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण	डॉ. सुपर्णा गांगुली, डॉ. ओमन जॉन, श्री वी. राल्ते, बीआरएआईपीआरडी, पश्चिम बंगाल	2017-18
19	मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के कार्यों को अधिरोपित करने के सम्बन्ध में मानसिकता एवं संस्थागत संरचनात्मक दशाओं के निर्धारण हेतु विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक अध्ययन	डॉ. संजय कुमार राजपूत एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, एमपी	2018-19
20	ग्राम सभा के संस्थागतकरण और कामकाज का आकलन और ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी	श्री सुरेन्द्र प्रजापति एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, एमपी	2018-19
21	प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति - कुंडम ब्लॉक, जबलपुर, मध्य प्रदेश में ग्रामीण	श्री पंकज राय एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, एमपी	2018-19
22	पंचायत दर्पण में की जा रही ऑनलाइन प्रविष्टियों में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन	श्री आशीष दुबे एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, एमपी	2018-19
23	ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के पलायन को रोकने में मनरेगा योजना की भूमिका	श्री नीलेश कुमार राय एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, एमपी	2018-19
24	मनरेगा योजना के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का प्रभाव (कुंडम ब्लॉक, जबलपुर, मध्य प्रदेश में 2 जनपद पंचायतें)	श्री जयकुमार श्रीवास्तव एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, एमपी	2018-19
25	एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: जम्मू और कश्मीर में उम्मीद का एक अध्ययन	डॉ.जावीद अहमद तेली, प्रो.रेवा शर्मा जेकिम्पा और आरडी, जम्मू और कश्मीर	2019-20
26	एनआरएलएम के कार्यान्वयन और सर्वोत्तम पद्धतियों का विश्लेषण - ओडिशा के कालाहांडी जिले का एक मामला अध्ययन	डॉ. संजीत कुमार स्वैन ईटीसी, भवानीपटना, कालाहांडी, ओडिशा	2020-21

परिशिष्ट-IV

वर्ष 2021-22 के दौरान जारी अनुसंधान अध्ययन			
क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
क.	एनआईआरडीपीआर अनुसंधान		
1	एससीएसपी / टीएसपी का मूल्यांकन - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक अध्ययन	डॉ. एस. एन. राव	2016-17
2	मनरेगा के तहत आजीविका संवर्धन और स्थिरता (प्रभाव)	डॉ. यू. हेमंत कुमार, डॉ. जी.वी.के. लोहिदास,	2017-18
3	भारत में ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन: एक आकलन अध्ययन	डॉ. टी. विजय कुमार	2017-18
4	सतत आजीविका और वंचित समुदाय: कर्नाटक के चुनिंदा जिले में वाडी कार्यक्रम का एक अध्ययन	डॉ. राज कुमार पम्मी	2017-18
5	एनएसएपी और राज्य पेंशन योजनाएं और डीबीटी की सीमा - एक 8 राज्यों का अध्ययन	डॉ. एस. एन. राव	2017-18
6	एमजीएनआरईजीएस के साथ आईडब्ल्यूएमपी का अभिसरण और इसके निहितार्थ	डॉ. यू. हेमंत कुमार, डॉ. जी.वी.के. लोहिदास,	2019-20
7	एमजीएनआरईजीएस न्यूनतम मजदूरी और ग्रामीण मजदूरी में रुझान	डॉ.ज्योतिस सत्यपालन, डॉ. दिगंबर ए, डॉ. पी. अनुराधा	2019-20
8	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में क्लस्टर शासन	डॉ.एस.के.सत्यप्रभा	2019-20
ख.	मामला अध्ययन		
9	ग्रामीण सामुदायिक रेडियो (आरसीआर) की सफलता की कहानी का मानचित्रण - एक मामला अध्ययन	डॉ आकांक्षा शुक्ला	2019-20
ग.	सहयोगी अध्ययन		
10	"झारखंड में आदिवासी महिला पीआरआई सदस्यों को सशक्त बनाना लेकिन क्या यह पेसा के संदर्भ में है? - झारखंड के दस (10) पेसा जिलों में एक अध्ययन"	डॉ. राजीव रंजन	2016-17
11	पोषण के लिए खाद्य प्रणाली	डॉ. एन. वी. माधुरी डॉ रुचिरा भट्टाचार्य	2019-20
12	प्रवासन, भलाई और कोविड -19 का प्रभाव: दिल्ली में उत्तराखंड प्रवासियों का एक अध्ययन	डॉ. राजेंद्र प्रसाद ममगाईं डॉ ज्योतिस सत्यपालन	2020-21
13	सीमांत सामाजिक समूहों के विशेष संदर्भ में ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य की स्थिति तक पहुंच	प्रोफेसर ज्योतिस सत्यपालन प्रो. राजेंद्र प्रसाद ममगाईं	2020-21
14	ग्रामीण और शहरी भारत में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंच	प्रोफेसर ज्योतिस सत्यपालन प्रो. राजेंद्र प्रसाद ममगाईं	2020-21
15	ग्रामीण श्रम बाजारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: रोजगार, आय और समावेशन का एक अध्ययन	प्रोफेसर ज्योतिस सत्यपालन प्रो. राजेंद्र प्रसाद ममगाईं	2020-21

परिशिष्ट-V

वर्ष 2021-22 का कार्य अनुसंधान अध्ययन			
क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
क.	संपूरित अध्ययन		
1	स्कूलों में लड़कियों के मूत्रालयों की स्थिति में सुधार के लिए जल रहित मूत्रालय प्रणाली का डिजाइन और विकास	डॉ. रमेश शक्तिवेल	2018-19
ख.	चल रहे अध्ययन		
2	कौशल विकास के लिए गोबर और मूत्र में मूल्यवर्धन के माध्यम से मॉडल डेयरी फार्म का मूल्यांकन	डॉ. रमेश शक्तिवेल एस (एनआईआरडीपीआर) और बाहरी सदस्य: डॉ. पी. बाबू, डॉ. जी. श्यामसुंदर रेड्डी और डॉ. वाई. रमना रेड्डी (फॉर्च्यून डायरी)	2019-20
3	250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए 100+ क्लस्टर विकास कार्यक्रम और परियोजना	डॉ अंजन कुमार भंजा, श्री दिलीप कुमार पाल	2019-20
4	पूरे भारत में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने की परियोजना	डॉ अंजन कुमार भंजा, श्री दिलीप कुमार पाल	2020-21

परिशिष्ट-VI

2021-22 के दौरान प्रारंभ किया गया परामर्शी अध्ययन			
क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
1	एसबीसीसी के लिए यूनिसेफ संचार संसाधन इकाई	डॉ.एन.वी.माधुरी, डॉ. वानिश्री जोसेफ	अगस्त, 2021
2	सीआईएल की सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन	प्रो. मुरुगेसन आर, डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, डॉ. पी.के. घोष	सितम्बर, 2021
3	आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. निथ्या वीजी डॉ. सुरजीत विक्रमण; डॉ. एच. राधिका रानी	फरवरी, 2022

परिशिष्ट-VII

वर्ष 2021-22 के दौरान पूरा किया गया परामर्शी अध्ययन			
क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
1	मेडागास्कर में सीगार्ड प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना	डॉ. पी. केशव राव, डॉ एन. एस. आर. प्रसाद, डॉ. एम. वी. रविबाबू, ईआर. एच. के सोलंकी	2017-18
2	हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-सूचना विज्ञान का उपयोग	ईआर. एच. के. सोलंकी, डॉ. पी. केशव राव	2018-19
3	गुजरात, ओडिशा और उत्तराखंड राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-सूचना विज्ञान का उपयोग	डॉ. एम. वी. रविबाबू, डॉ. एन. एस. आर. प्रसाद	2018-19
4	अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-सूचना विज्ञान का उपयोग	श्री ए. सिम्हाचलम, डॉ. एनएसआर प्रसाद	2018-19
5	मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एन. एस. आर. प्रसाद, ईआर. एच. के. सोलंकी, डॉ. एम वी रविबाबू	2018-19
6	कर्रूल आंध्र प्रदेश में हाइपरस्पेक्ट्रल और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर का उपयोग करके विभिन्न चावल फसलों की स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी पीढ़ी और तुलना	डॉ. एम. वी. रविबाबू, डॉ. के. सुरेश	2018-19
7	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ग्रामीण सड़क परियोजना (पीएमजीएसवाई-II और एसएफए)।	डॉ.पी.केशव राव, डॉ.एम.वी.रविबाबू, डॉ.एनएसआर प्रसाद, ईआर.एच.के.सोलंकी	2019-20
8	आंध्र प्रदेश राज्य में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	डॉ.एच.राधिका रानी, डॉ.आर.दिवाकर, बाबूराव आर, डॉ. सुरजीत विक्रमण	2019-20
9	महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के पिछड़े जिलों में ग्रामीण परिवारों के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रदर्शन पर एक मूल्यांकन अध्ययन"	डॉ. आकांक्षा शुक्ला	2019-21
10	बाल हितैषी पंचायत का निर्माण - चुनौतियाँ और आगे का रास्ता	डॉ. प्रत्यूस्ना पटनायक	2020-21
11	कोविड-19: स्थानीय शासन पर नीति प्रतिक्रियाएँ	डॉ. वानिश्री जोसेफ	2020-21
12	भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा वित्त तक पहुंच (ए2एफ) और एमएसई क्षेत्र पर इसका प्रभाव	डॉ. एम श्रीकांत एवं दल	2020-21
13	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पंचायती राज संस्थानों के लिए स्टाफिंग नीति	श्रीमती राधिका रस्तोगी, डॉ. प्रत्यूस्ना पटनायक, डॉ. के. प्रभाकर, डॉ. एम. रविबाबू	2020-21
14	विकेंद्रीकृत सेवा वितरण: कर्नाटक में नंदगढ़ ग्राम पंचायत का केस स्टडी	डॉ. प्रत्यूस्ना पटनायक	2020-21
15	कौशल विकास पर पंचायत की प्रभावी पहल	डॉ. वानिश्री जोसेफ	2020-21

परिशिष्ट-VIII

वर्ष 2021-22 के दौरान जारी परामर्शी अनुसंधान अध्ययन			
क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
1	टाइम एंड मोशन स्टडी - एमजीएनआरईजीएस	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन डॉ. दिगंबर ए. चिमनकर डॉ. यू. हेमंता कुमार डॉ. जी.वी. कृष्णा लोही दास डॉ. पी. अनुराधा डॉ. राजकुमार पम्मी	2017-18
2	टिहरी-गढ़वाल जिला, उत्तराखंड में कृषि-जलवायु योजना और सूचना बैंक (एपीआईबी)	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एन. एस. आर. प्रसाद, डॉ. एम .वी. रविबाबू, ईआर. एच. के. सोलंकी	2018-19
3	पीएमजीएसवाई के तहत भू-सूचना विज्ञान ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का उपयोग	डॉ. पी. केशव राव डॉ. एम. वी. रविबाबू डॉ. एनएसआर प्रसाद डॉ. एच. के. सोलंकी डॉ. ए. सिम्हाचलम	2018-19
4	सरकार द्वारा शुरू की गई आरकेवीवाई परियोजनाओं का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन। 2015-16 और 2016 -17 के दौरान आंध्र प्रदेश की	डॉ.जी.वी.कृष्णा लोही दास, डॉ.यू.हेमंत कुमार, डॉ.के.कृष्णा रेड्डी	2019-20
5	एसएचजी व्यवहार परिवर्तन के रास्ते	डॉ.एस.के.सत्यप्रभा	2019-20
6	"निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता" द्वारा पंचायत राज संस्थानों को मजबूत करने के माध्यम से भारत में परिवर्तन - टीआईएसपीआरआई चरण II	डॉ. सी. कथिरेसन डॉ. प्रत्यूस्ना पटनायक, डॉ. वानिश्री	2020-21
7	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी में स्थिति, प्रक्रियाएं, समस्याएं और पंचायत सेवा वितरण पर इसका प्रभाव और जीपीडीपी को और मजबूत करने के लिए आगे की राह	डॉ. आर. चिन्नादुरई	2020-21
8	मनरेगा के तहत लाभार्थियों द्वारा उन्हें व्यक्तिगत संपत्ति प्रदान करने के बाद काम की मांग में बदलाव (पीएमएवाई को छोड़कर)	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन डॉ. दिगंबर ए चिमनकर डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ. जी.वी. कृष्णा लोही दास डॉ. पी. अनुराधा डॉ. राजकुमार पम्मी	2020-21
9	भारतीय कृषि में समावेशी विकास: व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से सतत एफपीओ की आवश्यकता	डॉ. एम. श्रीकांत	2020-21

परिशिष्ट - IX

सामान्य परिषद के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पता
1	श्री गिरिराज सिंह माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
2	साध्वी निरंजन ज्योति माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
3	श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री कमरा नंबर 322 कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
4	श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, आईएएस सचिव ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
5	अध्यक्ष कजरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड अमूल डेयरी आनंद - 388001 गुजरात
6	अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली - 110002
7	अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) 16 कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग राष्ट्रीय बाल भवन के सामने, आईटीओ के पास नई दिल्ली - 110002
8	सचिव (डीडब्ल्यूएस) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय सी विंग, चौथी मंजिल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली - 110003
9	सचिव भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
10	सचिव पंचायती राज मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली -110 001
11	सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कमरा नंबर 115 कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
12	सचिव उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय 127-सी शास्त्री भवन, नई दिल्ली
13	सचिव नीति आयोग सी-8, टावर-I न्यू मोती बाग नई दिल्ली- 110 021
14	सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली - 110 001
15	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवाओं का विभाग वित्त मत्रांलय 6ए, तीसरी मंजिल जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली-110001
16	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
17	अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001

जारी...

क्र.सं.	नाम एवं पता
18	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली - 110001।
19	सह सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय **218,** दूसरी मंजिल, डी विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110 001
20	संयुक्त सचिव (एसडी और मीडिया) एम / ओ सामाजिक न्याय और अधिकारिता, शास्त्री भवन सी विंग डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड नई दिल्ली - 110 011
21	कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली-110 067
22	कुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर सीआर राव रोड पीओ, केंद्रीय विश्वविद्यालय गाचीबोवली हैदराबाद, -500046 तेलंगाना
23	डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस महानिदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर) राजेंद्रनगर हैदराबाद -500030
24	सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, आईसीएआर ए-1, एनएएससी कॉम्प्लेक्स डीपीएस मार्ग नई दिल्ली-110 012
25	निर्देशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, संख्या 1210, पहली मंजिल आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर **80** फीट रोड, 560 104 चंद्र लेआउट बेंगलुरु- 560 040 कर्नाटक

क्र.सं.	नाम एवं पता
26	वरिष्ठ सलाहकार कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता कमरा संख्या 322, बी-विंग श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001।
27	अतिरिक्त सचिव, आरएल और मिशन निदेशक (एनआरएलएम) **7**वीं मंजिल, एनडीसीसी-द्वितीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जय सिंह रोड नई दिल्ली - 110001
28	कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) दसवीं मंजिल केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, पी.बी. 10014 मुंबई - 400 001
29	मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड **1-1-61,** आरटीसी 'एक्स' रोड पंजाब नंबर 1863 मुशीराबाद हैदराबाद तेलंगाना पिन: 500020
30	श्री शशि भूषण निदेशक (एफएम) एवं एफए एनआईआरडीपीआर हैदराबाद- 500030
31	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन प्रोफेसर और प्रमुख (सीडीसी) एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद - 500030
32	डॉ. सी. कथायर्सन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख प्रभारी (सीआईएटी) एनआईआरडीपीआर हैदराबाद - 500 030
33	डॉ.एन.वी. माधुरी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख प्रभारी (सीजीएसडी) एनआईआरडीपीआर हैदराबाद -500 030

परिशिष्ट-X

कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सूची	
क्र.सं.	सदस्यों के नाम
1	श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
2	डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030
3	सचिव पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110001
4	सचिव (डीडब्ल्यूएस) सचिव का कार्यालय (डीडब्ल्यूएस) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
5	सचिव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
6	अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
7	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
8	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
9	डॉ. आर. रमेश एसोसिएट प्रोफेसर और हेड आई / सी, सीआरआई एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद
10	महानिदेशक यशदा, पुणे
11	निदेशक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआरएमए), गुजरात
12	निदेशक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई
13	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवाओं का विभाग, वित्त मंत्रालय 6ए, तीसरी मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट-XI

शैक्षणिक परिषद के सदस्यों की सूची	
क्र.सं.	सदस्य
1	ग्रामीण विकास क्षेत्र के गहन ज्ञान और उच्च शैक्षणिक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अकादमिक परिषद के अध्यक्ष (अंशकालिक) होंगे। संस्थान के महानिदेशक सह-अध्यक्ष होंगे।
2	कार्मिक, मानव संसाधन विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, ई एंड एफ, पंचायती राज, आदि विभाग में प्रशिक्षण के प्रभारी संयुक्त सचिव।
3	एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक (कार्यक्रम समर्थन) - सदस्य सचिव
4	एनआईआरडीपीआर के स्कूलों के डीन
5	आईआरएमए, एलबीएसएनएए, एएससीआई, आईआईपीए, आदि जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में से प्रत्येक का एक नामांकित व्यक्ति।
6	कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा नामित विशेष ज्ञान वाले चार व्यक्ति, लेकिन दो वर्ष से अधिक नहीं।
7	राज्यों के पांच एसआईआरडी के प्रमुख जो सामान्य परिषद के सदस्य हैं (हर दो साल में बारी-बारी से)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत